

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-122

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2023 को दिया गया

नवीकरणीय ऊर्जा की अनिवार्य खरीद

*122. डॉ. कनिमोड़ी एनवीएन सोमू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार राज्यों से मौजूदा ताप विद्युत परियोजनाओं के संयंत्र भार घटक को कम करने के लिए अनिवार्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद करने का आग्रह कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार से अधिशेष जल विद्युत उत्पादन होने के बावजूद सौर ऊर्जा खरीदने के लिए कहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उनकी अब तक की उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) आरपीओ का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में अधिरोपित किए गए जुर्माने का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

“नवीकरणीय ऊर्जा की अनिवार्य खरीद” के बारे में राज्य सभा में दिनांक 01.08.2023 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 122 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग) : भारत सरकार वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50 प्रतिशत संचयी विद्युत शक्ति संस्थापित क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न रूपों के प्रयोग को बढ़ावा देती रही है।

इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, राज्यों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद के लिए दायित्व निर्धारित किए गए हैं। टैरिफ नीति 2016 के पैरा 6.4(1) के अनुसार, विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के परामर्श से नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के लिए दीर्घावधि बहुतरी ट्रेजेक्टरी निर्धारित की जानी है। उपर्युक्त के अनुसरण में, सरकार समय-समय पर आरपीओ निर्धारित करती रही है। दिनांक 22 जुलाई, 2022 के नवीनतम आदेश में, राज्यों के लिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2029-30 तक आरपीओ ट्रेजेक्टरी निर्धारित की गई है। इस आदेश के अनुसार, राज्य अपनी ऊर्जा खपत के एक निश्चित प्रतिशत की पूर्ति पवन, जल विद्युत अथवा अन्य नवीकरणीय विद्युत स्रोतों से उत्पादित ऊर्जा से करेंगे। पूर्वोक्त आदेश के अनुसार आरपीओ ट्रेजेक्टरी **अनुबंध-I** पर दी गई है।

किसी ताप विद्युत संयंत्र का संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) यूनिटों की कार्य अवधि, पिछले कार्य-निष्पादन, योजित बंदियों, ईंधन की उपलब्धता, विद्युत की मांग आदि सहित अनेक कारकों पर निर्भर है। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में ताप विद्युत संयंत्रों का पीएलएफ बढ़ा है। वर्ष 2022-23 के दौरान देश में ताप विद्युत संयंत्रों का पीएलएफ वर्ष 2021-22 के 58.91% की तुलना में 64.15% था, जो 5.24% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शा रहा है।

(घ) : सरकार द्वारा जारी आरपीओ ट्रेजेक्टरी तमिलनाडु राज्य सहित देश के सभी राज्यों के लिए लागू है। इस आदेश के अनुसार, किसी विशेष वर्ष में अन्य आरपीओ (जिसमें अन्य के साथ-साथ सौर ऊर्जा स्रोत शामिल हैं) में किसी कमी की पूर्ति उस वर्ष के लिए जल विद्युत क्रय दायित्व आधिक्य से की जा सकती है। राज्यों की आरपीओ अनुपालन की वर्तमान स्थिति **अनुबंध-II** पर संलग्न है।

(ङ) : दायित्व प्राप्त कंपनियों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की खरीद के माध्यम से आरपीओ में कमी की पूर्ति भी की जा सकती है। आरपीओ के गैर-अनुपालन के कारण राज्य आयोग(आयोगों) द्वारा लगाई गई शास्ति के ब्यौरे **अनुबंध-III** पर संलग्न हैं।

अनुबंध-1

“नवीकरणीय ऊर्जा की अनिवार्य खरीद” के बारे में राज्य सभा में दिनांक 01.08.2023 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 122 के विवरण के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

1. विद्युत मंत्रालय के दिनांक 22 जुलाई, 2022 के आदेश के अनुसार वर्ष 2021-22 के बाद की आरपीओ ट्रेजेक्टरी:

वर्ष	पवन आरपीओ	एचपीओ	अन्य आरपीओ	कुल आरपीओ
2022-23	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%
2023-24	1.60%	0.66%	24.81%	27.08%
2024-25	2.46%	1.08%	26.37%	29.91%
2025-26	3.36%	1.48%	28.17%	33.01%
2026-27	4.29%	1.80%	29.86%	35.95%
2027-28	5.23%	2.15%	31.43%	38.81%
2028-29	6.16%	2.51%	32.69%	41.36%
2029-30	6.94%	2.82%	33.57%	43.33%

- (क) पवन आरपीओ की पूर्ति केवल दिनांक 31 मार्च, 2022 के बाद आरंभ की गई पवन विद्युत परियोजनाओं (डब्ल्यूपीपीज़) से उत्पादित ऊर्जा द्वारा की जाएगी।
- (ख) एचपीओ की पूर्ति केवल दिनांक 8 मार्च, 2019 के बाद आरंभ किए गए एलएचपी (पीएसपीज़ सहित) से उत्पादित ऊर्जा द्वारा की जाएगी।
- (ग) अन्य आरपीओ की पूर्ति ऐसी किसी आरई विद्युत परियोजना से उत्पादित ऊर्जा द्वारा, जो उपर्युक्त (क) और (ख) में उल्लिखित नहीं है, की जाएगी।

2. किसी विशेष वर्ष में 'अन्य आरपीओ' श्रेणी की प्राप्ति में शेष किसी कमी की पूर्ति उस वर्ष के लिए 'पवन आरपीओ' से परे दिनांक 31 मार्च, 2022 के बाद आरंभ की गई, डब्ल्यूपीपीज़ से खपत की गई अधिशेष ऊर्जा से अथवा उस वर्ष के लिए 'एचपीओ' से परे दिनांक 8 मार्च, 2019 के बाद आरंभ किए गए पात्र एलएचपीज़ (पीएसपीज़ सहित) से खपत की गई अधिशेष ऊर्जा से अथवा आंशिक रूप से दोनों से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, किसी विशेष वर्ष में 'पवन आरपीओ' की प्राप्ति में किसी कमी की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों से खपत की गई अधिशेष ऊर्जा, जो उस वर्ष के लिए 'एचपीओ' में अधिशेष है, से अथवा इसके विपरीत की जा सकती है।

“नवीकरणीय ऊर्जा की अनिवार्य खरीद” के बारे में राज्य सभा में दिनांक 01.08.2023 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 122 के विवरण के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

तालिका: वित्तीय वर्ष 2022-23 में आरपीओ अनुपालन की स्थिति*

क्रम सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एमओपी आदेश के अनुसार आरपीओ लक्ष्य				आरपीओ अनुपालन			
		डब्ल्यूपीओ	एचपीओ	अन्य आरपीओ	कुल आरपीओ	डब्ल्यूपीओ	एचपीओ	अन्य आरपीओ	कुल आरपीओ
1	चंडीगढ़	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.0%	0.0%	76.2%	76.2%
2	दिल्ली	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.0%	0.6%	23.8%	24.4%
3	हरियाणा	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.0%	0.9%	20.8%	21.7%
4	हिमाचल प्रदेश	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.0%	2.7%	76.0%	78.7%
5	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.0%	0.0%	56.9%	56.9%
6	पंजाब	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.2%	0.0%	27.3%	27.6%
7	राजस्थान	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.0%	0.0%	18.3%	18.3%
8	उत्तर प्रदेश	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.0%	0.4%	14.8%	15.2%
9	उत्तराखंड	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.0%	3.0%	57.4%	60.4%
10	छत्तीसगढ़	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.1%	1.2%	11.9%	13.3%
11	दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.2%	0.4%	2.4%	2.9%
12	गोवा	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.8%	0.4%	16.1%	17.3%
13	गुजरात	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	3.5%	0.2%	16.5%	20.3%
14	मध्य प्रदेश	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.1%	0.0%	22.3%	22.4%
15	महाराष्ट्र	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.0%	0.0%	17.1%	17.1%
16	आंध्र प्रदेश	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	3.3%	0.0%	25.1%	28.5%
17	कर्नाटक	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	6.4%	0.0%	40.3%	46.7%
18	केरल	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.0%	0.0%	36.3%	36.3%
19	लक्षद्वीप	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%
20	पुदुचेरी	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.0%	0.0%	6.6%	6.6%
21	तमिलनाडु	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	5.8%	0.0%	19.7%	25.5%
22	तेलंगाना	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.0%	0.0%	20.2%	20.2%
23	अंडमान एवं निकोबार	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.0%	0.0%	10.9%	10.9%
24	बिहार	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.1%	0.1%	15.9%	16.0%
25	झीवसी	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.0%	0.0%	10.6%	10.6%
26	झारखंड	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.0%	0.0%	30.0%	30.0%
27	ओडिशा	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.1%	0.1%	25.3%	25.4%
28	सिक्किम	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.0%	3.7%	84.7%	88.4%
29	पश्चिम बंगाल	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.1%	0.0%	15.9%	15.9%
30	अरुणाचल प्रदेश	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.0%	3.5%	15.3%	18.8%
31	असम	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.0%	2.7%	20.4%	23.2%
32	मणिपुर	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.0%	0.2%	33.8%	34.0%
33	मेघालय	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.0%	3.2%	56.7%	59.9%
34	मिजोरम	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.3%	0.4%	42.1%	42.7%
35	नागालैंड	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.0%	5.2%	31.3%	36.5%
36	त्रिपुरा	0.81%	0.35%	23.44%	24.61%	0.0%	0.1%	13.5%	13.6%

*अनंतिम

“नवीकरणीय ऊर्जा की अनिवार्य खरीद” के बारे में राज्य सभा में दिनांक 01.08.2023 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 122 के विवरण के भाग (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

क्रम सं.	राज्य ईआरसी	आरपीओ के गैर-अनुपालन पर लगाई गई शास्ति																											
1.	दिल्ली ईआरसी	दिल्ली वितरण लाइसेंसधारियों पर वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक आरपीओ लक्ष्यों की गैर-अनुपालना के लिए लगाई गई शास्तियां निम्नानुसार हैं: <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">डिस्कॉम</th> <th colspan="3">आरपीओ शास्ति (करोड़ रुपये)</th> </tr> <tr> <th>वित्तीय वर्ष 2017-18</th> <th>वित्तीय वर्ष 2018-19</th> <th>वित्तीय वर्ष 2019-20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>बीआरपीएल</td> <td>9.47</td> <td>8.89</td> <td>14.62</td> </tr> <tr> <td>बीवाईपीएल</td> <td>6.24</td> <td>7.22</td> <td>8.97</td> </tr> <tr> <td>टीपीडीडीएल</td> <td>0.00</td> <td>3.16</td> <td>2.75</td> </tr> <tr> <td>एनडीएमसी</td> <td>0.28</td> <td>0.34</td> <td>0.63</td> </tr> <tr> <td>कुल आरपीओ शास्ति</td> <td>15.99</td> <td>19.61</td> <td>26.97</td> </tr> </tbody> </table>	डिस्कॉम	आरपीओ शास्ति (करोड़ रुपये)			वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20	बीआरपीएल	9.47	8.89	14.62	बीवाईपीएल	6.24	7.22	8.97	टीपीडीडीएल	0.00	3.16	2.75	एनडीएमसी	0.28	0.34	0.63	कुल आरपीओ शास्ति	15.99	19.61	26.97
डिस्कॉम	आरपीओ शास्ति (करोड़ रुपये)																												
	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20																										
बीआरपीएल	9.47	8.89	14.62																										
बीवाईपीएल	6.24	7.22	8.97																										
टीपीडीडीएल	0.00	3.16	2.75																										
एनडीएमसी	0.28	0.34	0.63																										
कुल आरपीओ शास्ति	15.99	19.61	26.97																										

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-124

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2023 को दिया गया

विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त बिजली का उत्पादन

*124. श्री आर. गिरिराजन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास देश में अतिरिक्त बिजली/ऊर्जा उत्पादक राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करने की कोई योजना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) तमिलनाडु की तुलना में, देश में अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करने वाले विभिन्न राज्यों की अधिष्ठापित बिजली उत्पादन क्षमता और उत्पादित बिजली का ब्यौरा क्या है;
- (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करने वाले विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित और वितरित की गई; और
- (ङ) कोयले की कमी के कारण तमिलनाडु में थर्मल पावर संयंत्रों को पेश आ रही समस्याओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

“विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त बिजली का उत्पादन” के बारे में राज्य सभा में दिनांक 01.08.2023 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 124 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : विद्युत उत्पादन क्षमता विद्युत की मांग की पूर्ति हेतु निर्धारित की जाती है। इस प्रकार उत्पादित विद्युत का विक्रय किया जाता है और लाभ प्राप्त होता है, और कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन आवश्यक नहीं है। लगभग 4.74 लाख सीकेएम पारेषण लाइनों और लगभग 11.92 लाख एमवीए की परिवर्तन क्षमता की भारतीय विद्युत ग्रिड (220 केवी और उससे अधिक), देश में वन नेशन-वन ग्रिड-वन फ्रीक्वेंसी के उद्देश्य से प्रचालनरत है। इससे अधिशेष क्षेत्र(त्रों)/राज्यों से अधिशेष विद्युत को हानि वाले क्षेत्र(त्रों)/राज्यों में अंतरित करने में सुविधा हुई है। इसके अतिरिक्त, देश में प्रचालनरत विभिन्न यूटिलिटियों के बीच विद्युत की बिक्री और खरीद के लिए एक सुदृढ़ विनियामक कार्यवाही तैयार किया गया है।

देश में उचित, निष्पक्ष, कुशल, एवं मजबूत विद्युत मूल्य का पता लगाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्युत एक्सचेंजों की स्थापना की गई है। अधिशेष राज्य/वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) इन विद्युत एक्सचेंजों में विद्युत की आवश्यकता वाले राज्यों/डिस्कॉमों/उपभोक्ताओं को विद्युत की बिक्री कर सकती हैं। विद्युत की बिक्री/खरीद को सुविधा प्रदान करने के लिए, इन विद्युत एक्सचेंजों में विभिन्न प्रकार के उत्पादों अर्थात् रियल टाइम मार्केट (आरटीएम), डे अहेड मार्केट (डीएएम), टर्म अहेड मार्केट (टीएएम), ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएएम), ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) का शुभारंभ किया गया है। विद्युत एक्सचेंजों द्वारा अपनाए गए सुदृढ़ भुगतान सुरक्षा तंत्र के परिणामस्वरूप भुगतान में कोई चूक/देरी नहीं होती। राज्यों/डिस्कॉमों के बीच द्विपक्षीय करार करके द्विपक्षीय आदान-प्रदान के माध्यम से भी विद्युत की बिक्री/खरीद होती है।

विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 10.03.2023 को अधिशेष विद्युत के उपयोग के लिए पोर्टल (पुष्प) शुरू किया गया है, जिसमें मूल लाभग्राही राज्य/डिस्कॉम केंद्रीय उत्पादक स्टेशन/स्वतंत्र विद्युत

उत्पादकों/राज्य उत्पादक स्टेशनों/अंतर-राज्यीय उत्पादक स्टेशनों से अधिशेष विद्युत घोषित कर सकते हैं और इसे नए खरीददार द्वारा की गई मांग के आधार पर उसे आबंटित/अंतरित किया जा सकता है। नए खरीददार को निश्चित लागत के साथ-साथ ऊर्जा प्रभारों की देयता अंतरित हो जाती है जिससे मूल लाभग्राही राज्य के उपभोक्ताओं की खुदरा टैरिफ लागत कम होती है और इसके साथ ही कमी वाले राज्य की मांग पूरी हो जाती है।

सरकार द्वारा विद्युत के सीमा पार व्यापार दिशा-निर्देश अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें भारतीय कंपनी, स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए, अपनी अधिशेष विद्युत को पड़ोसी देश की ऐसी कंपनी को बेच सकती है, जिसके साथ भारत का विद्युत के सहयोग संबंधी करार हो।

(ग) : विद्युत का उत्पादन और इसकी आपूर्ति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकता के अनुरूप होती है और किसी राज्य के पास उपलब्ध किसी अधिशेष का विभिन्न बाजार-आधारित तंत्रों के माध्यम से कमी वाले राज्यों द्वारा उपयोग किया जाता है। कोई भी राज्य विद्युत का लगातार अधिशेष उत्पादक नहीं है। यद्यपि दिन/माह/मौसम के कुछ हिस्से में, इन राज्यों के पास अधिशेष होती है, दिन/माह/मौसम के कुछ हिस्से में, अधिशेष नहीं होती।

दिनांक 30.06.2023 तक की स्थिति के अनुसार, देश में और तमिलनाडु में कुल विद्युत उत्पादन संस्थापित क्षमता क्रमशः 421,901,63 मेगावाट और 37,837.12 मेगावाट है। दिनांक 30.06.2023 तक की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संस्थापित क्षमता के ब्यौरे **अनुबंध-I** पर दिए गए हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल उत्पादन 1624465 एमयू था, जबकि तमिलनाडु में, वर्ष 2022-23 के लिए कुल उत्पादन 116688 एमयू था। तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उत्पादन के ब्यौरे **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं।

(घ) : चूंकि अधिशेष विद्युत/ऊर्जा उत्पादक राज्य को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है, अतएव, विद्युत अधिशेष उत्पादक राज्यों को निधियों के संवितरण का प्रश्न नहीं उठता।

(ड) : दिनांक 24.07.2023 तक की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु में विद्युत संयंत्रों में उपलब्ध कोयला स्टॉक 14.6 लाख टन है, जो 85% पीएलएफ की मांग पर लगभग 13 दिन के लिए पर्याप्त है।

भारत सरकार ने तमिलनाडु सहित देश में निर्बाध विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं।

- i. विद्युत क्षेत्र के कोयला आपूर्ति मुद्दों के समाधान हेतु, विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों का एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने के साथ-साथ विद्युत संयंत्रों में संकटपूर्ण कोयला स्टॉक की स्थिति को कम करने सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किन्हीं आकस्मिक स्थितियों के लिए नियमित रूप से बैठक करता है।
- ii. कोयला स्टॉकों की निगरानी के लिए नियमित रूप से अंतर-मंत्रालयी सचिव-स्तरीय बैठक आयोजित की जाती है।
- iii. सरकार ने संशोधित कोयला भंडारण मापदंड जारी किए हैं, जिसमें विद्युत संयंत्रों को किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए हर समय पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने हेतु अधिदेशित किया गया है।
- iv. विद्युत यूटिलिटियां अपनी आवश्यकता के साथ-साथ लागत-अर्थव्यवस्था पर विचार करते हुए कोयले का आयात करती रही हैं। विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 09.01.2023 को केंद्रीय/राज्य जेनकोज़ और आईपीपीज़ को भार के 6% की दर से सम्मिश्रण के लिए पारदर्शी प्रतिस्पर्धी खरीद के माध्यम से कोयला आयात करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, ताकि सितंबर, 2023 तक सुचारू प्रचालन के लिए उनके विद्युत संयंत्रों में कोयले का स्टॉक रखा जा सके।

- v. रेलवे के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान, लगभग 8800 कोयला ढोने वाले वैगनों (लगभग 150 रेक) का नेट इंडक्शन किया गया था। वर्ष 2023-24 के अनुसार, कोयला ढोने वाले रेक्स का संभावित नेट इंडक्शन लगभग 200 रेक्स का होगा, जिससे कोयले की लोडिंग के लिए अतिरिक्त 50 रेक/दिन की व्यवस्था हो सकेगी। वैगन इंडक्शन के कारण वार्षिक कोयला परिवहन क्षमता में लगभग 70 मिलियन टन (एमटी) की वृद्धि संभावित है। इसी प्रकार, वर्ष 2024-25 में कोयला ढोने वाले रेक्स का नेट इंडक्शन लगभग 250 रेक्स का होने की संभावना है, जिससे अतिरिक्त 60 रेक्स/दिन की व्यवस्था हो सकेगी। वैगन इंडक्शन के कारण वार्षिक कोयला परिवहन क्षमता में लगभग 85 एमटी की वृद्धि होने की संभावना है।
- vi. रेलवे ने कोयला निकासी के संवर्धन के लिए 40 परियोजनाएं अभिचिन्हित की हैं। इन 40 परियोजनाओं में से, 17 परियोजनाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं और 23 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इन 23 परियोजनाओं में से वर्ष 2026-27 तक 18 परियोजनाओं के पूरे होने की संभावना है।
- vii. रेलवे के अनुसार, वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 के दौरान कोयला परिवहन क्षमता में लगभग 185 एमटी वृद्धि होने की संभावना है।
- viii. पर्याप्त कोयला सुनिश्चित करने के लिए, कैप्टिव कोयला खदान उत्पादन का लक्ष्य पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के 102.69 एमटी की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 141 मिलियन टन का रखा गया है।

“विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त बिजली का उत्पादन” के बारे में राज्य सभा में दिनांक 01.08.2023 को उतर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 124 के विवरण के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

दिनांक 30.06.2023 तक राज्य-वार संस्थापित उत्पादन क्षमता (ईंधन-वार मेगावाट में):

क्र.सं.	क्षेत्र/राज्य	जीवाश्म ईंधन				गैर-जीवाश्म ईंधन						कुल जोड़				
		कोयला	लिग्नाइट	गैस	डीजल	कुल आरईएस (जल विद्युत सहित)										
						कुल जीवाश्म ईंधन	न्यूक्लियर	जल विद्युत	सौर, पवन तथा अन्य आरईएस		कुल आरईएस (जल विद्युत सहित)		कुल गैर-जीवाश्म ईंधन			
						मेगावाट			मेगावाट	मेगावाट	मेगावाट			मेगावाट	मेगावाट	
1	2	3	4	5=1+2+3+4	6	7	8	9=7+8	10=6+9	14=5+12						
1	चंडीगढ़	45	0	15	0	60	8	102	64	165	173	233				
2	दिल्ली	3649	0	2115	0	5765	103	723	312	1035	1138	6903				
3	हरियाणा	8817	0	582	0	9399	101	2325	1440	3765	3865	13264				
4	हिमाचल प्रदेश	145	0	0	0	145	29	3249	1086	4335	4364	4509				
5	जम्मू एवं कश्मीर	577	0	304	0	881	68	2322	264	2585	2653	3535				
6	पंजाब	8214	0	150	0	8364	197	3818	1891	5710	5907	14271				
7	राजस्थान	11569	1580	775	0	13923	557	1942	23182	25124	25681	39604				
8	उत्तर प्रदेश	20388	0	1030	0	21417	289	3424	4792	8216	8506	29923				
9	उत्तराखंड	602	0	520	0	1122	31	2096	934	3030	3061	4183				
	अनाबंदि	1431	0	291	0	1722	237	751	0	751	988	2711				
	उत्तरी क्षेत्र	55437	1580	5781	0	62798	1620	20752	33966	54717	56337	119135				
10	छत्तीसगढ़	12222	0	0	0	12222	92	233	1314	1547	1638	13860				
11	गुजरात	17298	1400	6587	0	25285	797	772	21237	22009	22806	48092				
12	मध्य प्रदेश	15913	0	332	0	16245	382	3224	6125	9348	9731	25975				
13	महाराष्ट्र	25254	0	3513	0	28767	879	3332	12973	16305	17184	45951				
14	दमन और दीव	165	0	43	0	208	10	0	41	41	51	259				
15	दादरा एवं नगर हवेली	422	0	66	0	489	13	0	5	5	18	507				
16	गोवा	492	0	68	0	560	34	2	36	38	72	632				
	अनाबंदि	2835	0	198	0	3033	333	0	0	0	333	3366				
	पश्चिमी क्षेत्र	74602	1400	10806	0	86808	2540	7563	41730	49293	51833	138641				
17	आंध्र प्रदेश	11231	189	4067	37	15524	127	1674	9378	11052	11179	26703				
18	तेलंगाना	9439	61	832	0	10332	149	2480	5135	7614	7763	18095				
19	कर्नाटक	9948	486	0	25	10459	698	3632	17552	21184	21882	32341				
20	केरल	2059	325	534	160	3078	362	1864	1134	2998	3360	6438				
21	तमिलनाडु	12754	1959	1027	212	15952	1448	2178	18259	20437	21885	37837				
22	पुदुचेरी	141	118	33	0	292	86	0	43	43	129	421				
23	लक्षद्वीप	0	0	0	27	27	0	0	3	3	3	30				
24	एनएलसी		66	0	0	66	0	0	0	0	0	66				
	अनाबंदि	1426	434	0	0	1860	450	0	0	0	450	2310				
	दक्षिणी क्षेत्र	46997	3640	6492	460	57589	3320	11827	51504	63331	66651	124241				
25	बिहार	7397	0	0	0	7397	0	110	400	510	510	7907				
26	डीवीसी	3037	0	0	0	3037	0	186	0	186	186	3223				
27	झारखंड	2373	0	0	0	2373	0	191	128	319	319	2692				
28	ओडिशा	5020	0	0	0	5020	0	2163	634	2797	2797	7817				
29	पश्चिम बंगाल	8650	0	80	0	8730	0	1396	636	2032	2032	10762				
30	सिक्किम	14	0	0	0	14	0	633	60	693	693	707				
31	अंडमान-निकोबार	0	0	0	93	93	0	0	35	35	35	128				
	अनाबंदि	1737	0	0	0	1737	0	85	0	85	85	1822				
	पूर्वी क्षेत्र	28229	0	80	93	28401	0	4764	1892	6656	6656	35058				
32	अरुणाचल प्रदेश	37	0	47	0	84	0	545	145	689	689	773				
33	असम	403	0	742	0	1144	0	522	192	714	714	1858				
34	मणिपुर	16	0	82	36	133	0	87	18	105	105	238				
35	मेघालय	0	0	110	0	110	0	417	50	468	468	578				
36	मिजोरम	31	0	60	0	92	0	98	76	174	174	265				
37	नागालैंड	32	0	74	0	106	0	66	36	102	102	208				
38	त्रिपुरा	0	0	487	0	487	0	68	34	103	103	590				
	अनाबंदि	113	0	64	0	176	0	140	0	140	140	316				
	पूर्वोत्तर	631	0	1665	36	2332	0	1944	551	2495	2495	4827				
	अखिल भारत	205895	6620	24824	589	237929	7480	46850	129643	176493	183973	421902				

अनुबंध-II

“विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त बिजली का उत्पादन” के बारे में राज्य सभा में दिनांक 01.08.2023 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 124 के विवरण के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उत्पादन (मिलियन यूनिट में) के ब्यौरे:

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	वर्ष 2022-23 के लिए							कुल
	ताप	गैस	न्यूक्लियर	जल विद्युत	पवन	सौर	अन्य आरईएस	
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	13	0	13
दिल्ली	0	3784	0	0	0	236	294	4314
हरियाणा	32137	3	0	0	0	555	865	33560
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	38667	0	59	2854	41580
जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	16777	0	0	393	17170
लद्दाख	0	0	0	403	0	0	0	403
पंजाब	31506	0	0	4400	0	2779	1391	40076
राजस्थान	55968	1450	6587	967	6111	34474	404	105961
उत्तर प्रदेश	151155	908	3193	974	0	3674	3543	163447
उत्तराखंड	0	0	0	15436	0	332	602	16370
छत्तीसगढ़	142599	0	0	237	0	635	1368	144839
गुजरात	53323	2159	3640	6133	19206	10335	221	95017
मध्य प्रदेश	135838	0	0	7309	4487	3839	547	152020
महाराष्ट्र	124477	2430	8985	5894	7243	4388	5576	158993
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	27	3	30
गोवा	0	0	0	0	0	15	5	20
आंध्र प्रदेश	60932	610	0	3748	7426	8141	845	81702
तेलंगाना	50738	0	0	6010	279	6745	405	64177
कर्नाटक	35014	0	7443	13157	9968	14154	5454	85190
केरल	0	0	0	7989	179	880	887	9935
तमिलनाडु	65221	1862	16013	5966	16914	9419	1293	116688
लक्षद्वीप	15	0	0	0	0	0	0	15
पुदुचेरी	0	233	0	0	0	12	0	245
अंडमान निकोबार	215	0	0	0	0	24	14	253
बिहार	55200	0	0	0	0	170	119	55489
झारखंड	30473	0	0	305	0	20	0	30798
ओडिशा	64874	0	0	5463	0	706	486	71529
सिक्किम	0	0	0	11697	0	0	12	11709
पश्चिम बंगाल	87612	0	0	3424	0	125	1834	92995
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	4821	0	22	3	4846
असम	5026	3367	0	482	0	216	63	9154
मणिपुर	0	0	0	478	0	8	1	487
मेघालय	0	0	0	980	0	0	72	1052
मिजोरम	0	0	0	204	0	3	59	266
नागालैंड	0	0	0	177	0	0	112	289
त्रिपुरा	0	7079	0	0	0	7	0	7086
कुल जोड़	1182326	23885	45861	162099	71814	102014	29724	1617723
भूटान से आयात				6742.4				6742
अखिल भारत कुल								1624465

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-127

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2023 को दिया गया

राज्य सरकारों द्वारा खरीदी गई बिजली के लिए भुगतान

*127. श्री धीरज प्रसाद साहू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से बिजली खरीदने पर कितने दिनों के भीतर उसका भुगतान करना होता है;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों को उपभोक्ताओं से बिजली की लागत वसूलने में लगभग दो महीने का समय लगता है;

(ग) क्या केंद्र सरकार राज्य सरकारों को बिजली के लिए भुगतान करने हेतु और अधिक समय देने पर विचार कर रही है ताकि राज्यों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना न करना पड़े; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

“राज्य सरकारों द्वारा खरीदी गई बिजली के लिए भुगतान” के बारे में राज्य सभा में दिनांक 01.08.2023 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 127 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) : डिस्कॉमों/राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय क्षेत्र सहित विभिन्न उत्पादन कंपनियों से विद्युत की खरीद के लिए भुगतान डिस्कॉमों तथा उत्पादन कंपनियों के बीच हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करारों (पीपीएज़) के निबंधन एवं शर्तों द्वारा निर्देशित होता है। सभी पीपीएज़ में उत्पादक कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए इनवॉइसेज़ के भुगतान से संबंधित प्रावधान होते हैं, जिसमें देय तिथि, छूट, विलंब भुगतान अधिभार आदि शामिल होते हैं। परिणामस्वरूप केंद्रीय क्षेत्र की उत्पादन कंपनियों के संबंध में ऐसे निबंधन एवं शर्तें विद्यमान सीईआरसी विनियमों के अनुसार संचालित की जाती हैं।

(ख) : डिस्कॉमों/विद्युत वितरण यूटिलिटीयों द्वारा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसीज़) द्वारा निर्धारित बिलिंग व्यवस्था के अनुसार विद्युत बिल जारी किए जाते हैं, जो मासिक/द्वैमासिक हो सकते हैं और उपभोक्ताओं से देय तिथि के अनुसार अपने बिलों का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। उपभोक्ता श्रेणी, ग्रामीण/शहरी स्थान आदि के आधार पर उनकी संबंधित आपूर्ति संहिता के अनुसार देय तिथि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है।

(ग) और (घ) : उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर के अनुसार, डिस्कॉमों तथा उत्पादन कंपनियों के बीच संबंधित हस्ताक्षरित पीपीएज़ के प्रावधानों द्वारा राज्य डिस्कॉमों द्वारा उत्पादन कंपनियों को भुगतान करने की समय-सीमा निर्देशित होती है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1373

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2023 को दिया गया

निर्यात प्रयोजन के लिए स्थापित किए गए विद्युत संयंत्र

1373. सुश्री दोला सेन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास देश में उन सभी विद्युत संयंत्रों से संबंधित आंकड़े हैं, जिनकी स्थापना केवल निर्यात के उद्देश्य से की गई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार के पास ऐसे विद्युत संयंत्रों से अन्य देशों को निर्यात की जा रही बिजली की यूनिट्स से संबंधित आंकड़े हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : झारखंड राज्य में 1600 मेगावाट (2 x 800 मेगावाट) की गोड्डा ताप विद्युत परियोजना अडानी पावर (झारखंड) लिमिटेड (एपीजेएल) द्वारा केवल बांग्लादेश को विद्युत निर्यात करने के लिए स्थापित की गई है। आयातित कोयले पर आधारित यह विद्युत परियोजना विद्युत रूप से भारतीय ग्रिड से नहीं जुड़ी है और इसकी पूरी क्षमता बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है।

(ग) और (घ) : गोड्डा टीपीएस से बांग्लादेश को किए गए ऊर्जा निर्यात के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 01.08.2023 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 1373 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

माह	ऊर्जा का निर्यात (एमयू)
मार्च, 2023	170
अप्रैल, 2023	444
मई, 2023	403
जून, 2023	564
जुलाई, 2023 (दिनांक 20.07.2023 तक)	307

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1419

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2023 को दिया गया

पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से क्षमता में वृद्धि

1419. श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 2017-22 के लिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से निर्धारित क्षमता वृद्धि का लक्ष्य जो 51516.14 मेगावाट था, पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य से चूकने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा 2017-22 से योजनागत और वास्तविक क्षमता वृद्धि के बीच अंतर को दूर करने और भविष्य की ऊर्जा क्षमता जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार की कोयले और ऊर्जा के अन्य गैर-नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता कम करने के साथ-साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : वर्ष 2017-22 तक की अवधि के लिए पारंपरिक स्रोतों से 51,561.15 मेगावाट की निर्धारित उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि की तुलना में, दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार कुल 30,667.91 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि प्राप्त की गई थी।

वर्ष 2017-22 तक की अवधि के दौरान निर्धारित ऊर्जा क्षमता अभिवृद्धि में गिरावट के विभिन्न कारण थे जिनमें कोविड-19 महामारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। महामारी के अलावा, अन्य प्रमुख कारण निम्नलिखित थे:

- भूमि अधिग्रहण एवं वन स्वीकृति प्राप्त होने में देरी
- स्थानीय मामलों/मुकदमों के कारण कार्य में व्यवधान

- उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा आपूर्ति में देरी
- इस्पात मूल्यों में वृद्धि जिसके कारण स्थल पर सामग्री की उपलब्धता में देरी
- डिजाइन में परिवर्तन के कारण देरी
- मानसून तथा अप्रत्याशित वर्षा का प्रभाव
- संविदाकारों द्वारा अपर्याप्त मानवशक्ति की भर्ती

(ग) से (ङ) : विद्युत मंत्रालय तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) परियोजनाओं के आरंभ होने के लिए महत्वपूर्ण मामलों को चिह्नित करने और उनका समाधान करने के लिए, निरंतर स्थल दौरों और विकासकर्ताओं एवं अन्य हितधारकों के साथ बातचीत के माध्यम से निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करते हैं।

मई, 2023 (20^{वां} विद्युत शक्ति सर्वेक्षण) में अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के अनुसार, भावी ऊर्जा क्षमता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित अनुमान लगाए गए हैं:

क्षमता के प्रकार	वर्ष 2026-2027 अनुमानित व्यस्ततम मांग - 277 गीगावाट ऊर्जा आवश्यकता - 1907.8 बीयू	वर्ष 2031-2032 अनुमानित व्यस्ततम मांग - 366.4 गीगावाट ऊर्जा आवश्यकता - 2473.8 बीयू
क्षमता (मेगावाट)		
पारंपरिक क्षमता	2,73,038	3,04,147
- कोयला	2,35,133	2,59,643
- गैस	24,824	24,824
- न्यूक्लियर	13,080	19,680
नवीकरणीय क्षमता	3,36,553	5,96,275
- बड़ी जल विद्युत	52,446	62,178
- सौर	1,85,566	3,64,566
- पवन	72,895	1,21,895
- लघु जल विद्युत	5,200	5,450
- बायोमास	13,000	15,500
- पम्पड भंडारण संयंत्र (पीएसपी)	7,446	26,686
बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस)	8,680/34,720 एमडब्ल्यूएच	47,244/2,36,220 एमडब्ल्यूएच

वर्ष 2026-27 के लिए कुल संस्थापित क्षमता में कोयला-आधारित क्षमता का हिस्सा 38.57% रहने की संभावना है जिसके वर्ष 2031-32 तक और अधिक कम होकर 28.83% होने की संभावना है। वर्ष 2026-27 के लिए कुल संस्थापित क्षमता में आरई आधारित क्षमता का हिस्सा 55.20% रहने की संभावना है जिसके वर्ष 2031-32 तक और अधिक बढ़कर 66.22% होने की संभावना है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1430

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2023 को दिया गया

झारखंड में बिजली की आपूर्ति

1430. श्रीमती महुआ माजी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है;
- (ख) सरकार द्वारा झारखंड में मिलने वाले कोयला, लोहा और यूरेनियम आदि जैसे खनिज पदार्थों और राज्य की बिजली खपत को ध्यान में रखते हुए झारखंड को वर्ष-वार कितनी बिजली प्रदान की जाती है;
- (ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि झारखंड में बना अडानी विद्युत संयंत्र झारखंड के संसाधनों से बिजली उत्पन्न कर बांग्लादेश को बेच रहा है तथा झारखंड में बिजली की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए अडानी विद्युत संयंत्र द्वारा समझौते के अनुसार झारखंड को बिजली उपलब्ध नहीं कराने के क्या कारण हैं; और
- (घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : दिनांक 30.06.2023 तक की स्थिति के अनुसार देश में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता **421901.63 मेगावाट** है। संस्थापित क्षमता का मोड-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) : दिनांक 30.06.2023 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय क्षेत्र के उत्पादन स्टेशनों से झारखंड को **1736.4 मेगावाट** विद्युत का आवंटन किया गया है, जिसमें से **1580.6** मेगावाट फर्म विद्युत और अनावंटित कोटे से **155.8** मेगावाट विद्युत शामिल है। वर्ष 2022-23 के लिए झारखंड को **12288 एमयू** ऊर्जा की आपूर्ति की गई थी।

(ग) और (घ) : बांग्लादेश को विद्युत के निर्यात के लिए झारखंड में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) परियोजना, अडानी पावर (झारखंड) लिमिटेड (एपीजेएल) की 1600 मेगावाट (2x800 मेगावाट) की गोड्डा ताप विद्युत परियोजना, स्थापित की गई है।

इस संबंध में एपीजेएल और झारखंड राज्य सरकार (जीओजे) द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। झारखंड सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एपीजेएल ने छत्तीसगढ़ में स्थित अपने रायपुर एनर्जन लिमिटेड (आरईएल) विद्युत संयंत्र, रायगढ़ से 25% विद्युत अर्थात् 400 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति करने का प्रस्ताव दिया है।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 01.08.2023 को उत्तर दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 1430 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

दिनांक 30.06.2023 तक की स्थिति के अनुसार देश में मोड-वार कुल विद्युत उत्पादन की संस्थापित क्षमता:

मोड-वार ब्यौरे									कुल योग (मेगावाट)
धर्मल					न्यूक्लियर	नवीकरणीय स्रोत			
कोयला	लिग्नाइट	गैस	डीजल	कुल		बड़ी जल विद्युत	आरईएस	कुल	
205895.50	6620.00	24824.21	589.20	237928.91	7480.00	46850.17	129642.55	176492.72	421901.63

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1431

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2023 को दिया गया

सौभाग्य योजना का कार्यान्वयन और उसका दायरा

1431. डॉ. धर्मस्थल वीरेंद्र हेग्गडे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - 'सौभाग्य' के कार्यान्वयन और उसके दायरे की क्या स्थिति है;
- (ख) क्या उक्त योजना में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में उक्त योजना के कार्यान्वयन और दायरे की जिला-वार स्थिति क्या है; और
- (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में उक्त योजना के अंतर्गत जिला-वार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है?

उत्तर

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)**

(क) और (ख) : भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करके, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य की शुरुआत की। सौभाग्य के तत्वावधान में, दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 घरों को छोड़कर, राज्यों द्वारा सभी घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी गई थी। इसके बाद, सात राज्यों नामतः असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने सूचित किया कि दिनांक 31.03.2019 से पहले अभिचिन्हित, लगभग 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घर हैं, जो पहले अनिच्छुक थे लेकिन बाद में उन्होंने विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसकी भी संस्वीकृति दी गई थी। इन सभी सात राज्यों ने दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार 100% घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी थी। सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से, दिनांक 31.03.2021 तक, कुल 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

इसके बाद, राज्यों ने सूचित किया कि कुछ घरों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है, जिसके निमित्त, राज्यों ने सूचित किया कि 4.43 लाख घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। तदनुसार, कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। यह स्कीम दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो चुकी है। सौभाग्य पोर्टल के अनुसार, स्कीम की अवधि के दौरान कुल 29 राज्यों ने भाग लिया। सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत देश में घरों के विद्युतीकरण के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ग) : शुभारंभ के बाद से, दिनांक 31.03.2022 तक, कर्नाटक राज्य में सौभाग्य के कार्यान्वयन की जिला-वार स्थिति **अनुबंध-II** में दी गई है।

(घ) : सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत किसी भी राज्य/जिला के लिए निधियों का कोई अग्रिम आवंटन नहीं किया गया था। संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियां, पिछली किशतों में जारी निधियों के कथित उपयोग और निर्धारित शर्तों की पूर्ति के आधार पर, किशतों में जारी की गई थी। सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत निधियां नोडल एजेंसी द्वारा समग्र रूप से डिस्कॉम-वार वितरित की गई थी, न कि जिला-वार। पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य में सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों के डिस्कॉम-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

डिस्कॉम*	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	कुल
सेस्कॉम	0.88	0	0.14	0	1.02
गेस्कॉम	18.71	0	1.22	0	19.93
एचआरईसीएस	1.31	0	0.98	0	2.29
हेस्कॉम	16.75	0	6.38	0	23.13
मेस्कॉम	1.54	0	0	0	1.54
कुल जारी					47.91
उपयोग किया गया अनुदान					100%

टिप्पणी*: सेस्कॉम: चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय निगम लिमिटेड
गेस्कॉम: गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी लिमिटेड
एचआरईसीएस: हुक्केरी रूरल इलेक्ट्रिक को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
हेस्कॉम: हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी लिमिटेड
मेस्कॉम: मेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी लिमिटेड

अनुबंध-1

राज्य सभा में दिनांक 01.08.2023 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1431 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घरों की उपलब्धि सहित सौभाग्य स्कीम के शुभारंभ से घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्यों का नाम	सौभाग्य पोर्टल के अनुसार दिनांक 11.10.2017 से दिनांक 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	सौभाग्य के अंतर्गत अतिरिक्त मंजूरी की अनुमति		डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घरों को दी गई मंजूरी		कुल जोड़ (क+ख)
			दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2021 तक सूचित विद्युतीकृत घरों की संख्या	दिनांक 31.03.2021 तक कुल विद्युतीकृत घर (क)	वर्ष 2021-22 के दौरान संस्वीकृत घर	विद्युतीकृत घर दिनांक 31.03.2022 तक (ख)	
1	आंध्र प्रदेश*	181,930	0	181,930			181,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089	0	47,089	7859	0	47,089
3	असम	1,745,149	200,000	1,945,149	480249	381507	2,326,656
4	बिहार	3,259,041	0	3,259,041			3,259,041
5	छत्तीसगढ़	749,397	40,394	789,791	21981	2577	792,368
6	गुजरात*	41,317	0	41,317			41,317
7	हरियाणा	54,681	0	54,681			54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891	0	12,891			12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	377,045	0	377,045			377,045
10	झारखंड	1,530,708	200,000	1,730,708			1,730,708
11	कर्नाटक	356,974	26,824	383,798			383,798
12	लद्दाख	10,456	0	10,456			10,456
13	मध्य प्रदेश	1,984,264	0	1,984,264	99722	0	1,984,264
14	महाराष्ट्र	1,517,922	0	1,517,922			1,517,922
15	मणिपुर	102,748	5,367	108,115	21135	0	108,115
16	मेघालय	199,839	0	199,839	420	401	200,240
17	मिजोरम	27,970	0	27,970			27,970
18	नागालैंड	132,507	0	132,507	7009	7009	139,516
19	ओडिशा	2,452,444	0	2,452,444			2,452,444
20	पुदुचेरी*	912	0	912			912
21	पंजाब	3,477	0	3,477			3,477
22	राजस्थान	1,862,736	212,786	2,075,522	210843	52206	2,127,728
23	सिक्किम	14,900	0	14,900			14,900
24	तमिलनाडु*	2,170	0	2,170			2,170
25	तेलंगाना	515,084	0	515,084			515,084
26	त्रिपुरा	139,090	0	139,090			139,090
27	उत्तर प्रदेश	7,980,568	1,200,003	9,180,571	334652	0	9,180,571
28	उत्तराखंड	248,751	0	248,751			248,751
29	पश्चिम बंगाल	732,290	0	732,290			732,290
कुल		26,284,350	1,885,374	28,169,724	1,183,870	443,700	28,613,424

*सौभाग्य से पहले विद्युतीकरण किया गया और सौभाग्य के अंतर्गत वित्त पोषित नहीं किया गया

राज्य सभा में दिनांक 01.08.2023 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1431 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

कर्नाटक राज्य में सौभाग्य के शुरुआत के बाद से विद्युतीकृत घरों के जिले-वार ब्यौरे

क्र सं	ज़िला	सौभाग्य पोर्टल के अनुसार विद्युतीकृत घरों की संख्या (दिनांक 31.03.2019 तक)	दिनांक 31.03.2019 के बाद दिनांक 31.03.2021 तक कवर किए गए घर	सौभाग्य के शुरुआत के बाद से कुल विद्युतीकृत घर
1	कोडागू	2545		2545
2	बेल्लारी	6303		6303
3	बीदर	5006		5006
4	गुलबर्गा	7227		7227
5	कोप्पल	5830		5830
6	रायचुर	10309		10309
7	यादगीर	13204		13204
8	बागलकोट	7346	3093	10439
9	बेलगाम	35906	10253	46159
10	बीजापुर	10797	1310	12107
11	धारवाड़	4249	736	4985
12	गदग	10674	3314	13988
13	हावेरी	11190	4853	16043
14	उत्तर कन्नड़	5625	3265	8890
15	चिकमंगलूर	14211		14211
16	दक्षिण कन्नड़	8540		8540
17	शिमोगा	16244		16244
18	उडुपी	14060		14060
19	बैंगलोर	2788		2788
20	बैंगलुरु ग्रामीण	6543		6543
21	चामराजनगर	4456		4456
22	चिक्कबल्लपुर	6314		6314
23	चित्रदुर्ग	33383		33383
24	दावनगेरे	11445		11445
25	हसन	12669		12669
26	कोलार	12411		12411
27	मंड्या	15012		15012
28	मैसूर	16730		16730
29	रामानगर	13249		13249
30	तुमकुर	32708		32708
	राज्य कुल	356974	26824	383798

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1433

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2023 को दिया गया

उदय योजना

1433. डॉ. सांतनु सेन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों में उदय योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों और डिस्कॉम द्वारा जारी किए गए बॉण्ड के पुनर्भुगतान की क्या स्थिति है;
- (ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उदय योजना के अंतर्गत सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों को कम करने और आपूर्ति की औसत लागत-औसत वसूली योग्य राजस्व (एसीएस-एआरआर) के अंतर को पाटने संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त किया है अथवा प्राप्त करने में असफल रहे हैं; और
- (ग) उदय योजना के कार्यान्वयन और उसकी निगरानी में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : उदय स्कीम (खंड 7) के दिनांक 20 नवंबर, 2015 के कार्यालय जापन के अनुसार, विद्युत वितरण कंपनियों के प्रचालनात्मक तथा वित्तीय टर्नअराउंड के लिए -

- राज्य उपयुक्त सीमा तक बाजार में अथवा सीधे डिस्कॉमों के कर्ज की उधारियों की धारक संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था को एसडीएल (राज्य विकास ऋण) सहित गैर-एसएलआर (सांविधिक लिक्विडिटी अनुपात) बॉण्ड जारी करेगा। राज्य द्वारा डिस्कॉमों को बैंक/वित्तीय संस्थाओं को जारी किए गए बॉण्ड से वसूली गई प्राप्तियों की संपूर्ण राशि अंतरित की जाएगी, जो इससे बैंक/वित्तीय संस्थाओं के कर्ज के समतुल्य राशि की अदायगी करेगी।
- राज्य द्वारा जारी किए गए गैर-एसएलआर बॉण्ड की परिपक्वता अवधि 10-15 वर्ष होगी और मूल राशि के पुनर्भुगतान पर, राज्य द्वारा यथा अपेक्षित, 5 वर्ष तक का प्रतिबंध होगा।

उदय स्कीम के अंतर्गत जारी किए गए बॉण्ड का सार **अनुबंध-1** पर संलग्न है। इन बॉण्ड्स की परिपक्वता अवधि राज्य-दर-राज्य अलग-अलग है और यह 5 वर्ष से 15 वर्ष के बीच है।

(ख) : उदय के अंतर्गत डिस्कॉमों की प्रतिभागिता तथा अन्य दक्षता उपायों के परिणामस्वरूप, राज्य विद्युत वितरण यूनिटियों ने सुधारों के संबंध में सूचना दी है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. एटी एंड सी हानियां वित्तीय वर्ष 2015-16 के 23.70% से कम होकर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 20.73% रह गई हैं।
- ii. एसीएस-एआरआर अंतर: औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) तथा औसत राजस्व वसूली (एआरआर) के बीच का अंतर वित्तीय वर्ष 2015-16 के 0.54 रुपये प्रति यूनिट से कम होकर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 0.50 रुपये प्रति यूनिट रह गया है।

एटी एंड सी हानियों तथा एसीएस-आरआर अंतर के राज्य-वार ब्यौरे, क्रमशः **अनुबंध-II** तथा **अनुबंध-III** पर दिए गए हैं।

(ग) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 19.01.2016 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में निगरानी समिति गठित की और निगरानी समिति की बैठकों के दौरान स्कीम की प्रगति, सामने आ रही चुनौतियों की नियमित समीक्षा की गई थी। स्कीम के कार्यान्वयन में किसी बड़ी चुनौती की सूचना नहीं थी। इस स्कीम की अवधि वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक थी।

अनुबंध-1

राज्य सभा में दिनांक 01.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1433 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

उदय स्कीम के अंतर्गत जारी बांड का सार								
क्र.सं.	राज्य	दिनांक 30-09-2015 तक की स्थिति के अनुसार डिस्कॉम देयताएं (एमओयू के अनुसार)।	दिनांक 30-09-2015 तक की स्थिति के अनुसार डिस्कॉम देयताओं का पुनर्गठन किया गया	राज्य द्वारा अब तक जारी किए गए कुल बांड	डिस्कॉम द्वारा अब तक जारी किए गए कुल बांड	उदय के अंतर्गत अब तक जारी किए गए कुल बांड	राज्य द्वारा जारी किए गए शेष बांड	डिस्कॉमों द्वारा जारी किए गए शेष बांड
1	आंध्र प्रदेश	14721	14721	8256	0	8256	0	6465
2	असम	1510	असम सरकार द्वारा कोई बांड जारी नहीं किया गया है क्योंकि राज्य ने अनुदान और इक्विटी के रूप में घाटे को अधिग्रहित कर लिया है।					
3	बिहार	3109	3109	2332	777	3109	0	0
4	छत्तीसगढ़	1740	870	870	0	870	0	0
5	हरियाणा	34602	34518	25951	0	25951	0	8566
6	हिमाचल प्रदेश	3854	3854	2891	0	2891	0	963
7	जम्मू एवं कश्मीर	3538	3538	3538	0	3538	0	0
8	झारखंड	6718	6136	6136	0	6136	0	0
9	मध्य प्रदेश	34739	7360	7360	0	7360	0	0
10	महाराष्ट्र	22097	6613	4960	0	4960	0	1653
11	मेघालय	167	167	125	0	125	0	42
12	पंजाब	20838	20262	15629	0	15629	0	4633
13	राजस्थान	80530	76120	59722	12368	72090	0	4030
14	तमिलनाडु	30420	30420	22815	0	22815	0	7605
15	तेलंगाना	11897	11244	8923	0	8923	0	2321
16	उत्तर प्रदेश	53935	50125	39133	10377	49510	0	616
कुल:-		324415	269057	208641	23522	232163.29	0	36894.35
पुनर्गठित किए जाने वाले कुल ऋणों में से जारी किए गए बांडों का प्रतिशत						86%		
टिप्पणी- राज्य- गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक, मणिपुर, पुदुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, केरल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम ने उदय के अंतर्गत केवल प्रचालनात्मक मापदंडों को चुना है, इसलिए, उनका ऋण राज्य द्वारा नहीं लिया गया।								

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 01.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारंकित प्रश्न संख्या 1433 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

एटीएंडसी हानि

राज्य	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			30.28	23.43	23.34
आंध्र प्रदेश	10.36	13.77	14.15	25.67	10.77
अरुणाचल प्रदेश	54.58	53.64	51.08	52.53	40.49
असम	26.02	20.11	17.64	20.19	23.39
बिहार	43.30	43.34	33.51	33.30	39.95
चंडीगढ़			9.56	13.50	15.86
छत्तीसगढ़	22.10	23.87	20.74	24.96	18.46
दादरा एवं नगर हवेली			6.55	5.45	3.56
दमन और दीव			17.11	6.19	4.07
दिल्ली	12.44	10.79	9.87	9.12	8.26
गोवा	19.77	24.33	10.48	17.61	11.41
गुजरात	16.23	14.42	12.19	13.06	10.95
हरियाणा	29.27	26.42	21.78	18.08	18.26
हिमाचल प्रदेश	9.68	11.48	11.08	12.46	13.33
जम्मू एवं कश्मीर	58.75	59.96	53.67	49.94	60.46
झारखंड	33.34	40.83	44.72	28.33	37.13
कर्नाटक	17.13	16.84	15.61	19.82	17.58
केरल	12.40	13.42	12.81	9.10	13.12
लक्षद्वीप			19.15	26.82	13.69
मध्य प्रदेश	27.37	26.80	30.51	36.63	30.38
महाराष्ट्र	21.74	22.84	14.07	15.30	18.56
मणिपुर	31.72	33.01	27.46	25.26	23.30
मेघालय	45.98	38.81	41.19	35.22	31.67
मिजोरम	35.18	24.98	16.16	16.20	20.66
नागालैंड	33.44	38.50	110.85	65.73	64.79
ओडिशा	38.60	37.19	33.59	31.55	28.94
पुदुचेरी	22.43	21.34	19.19	19.77	18.45
पंजाब	15.88	14.46	17.31	11.28	14.35
राजस्थान	31.59	27.33	24.07	28.25	29.86
सिक्किम	43.89	35.62	32.48	41.83	28.77
तमिलनाडु	16.83	18.23	19.47	17.86	15.00
तेलंगाना	14.01	15.19	19.40	18.41	21.92
त्रिपुरा	32.68	28.95	30.04	38.03	35.71
उत्तर प्रदेश	39.76	40.91	37.34	32.75	29.64
उत्तराखंड	18.01	16.68	16.34	17.45	20.35
पश्चिम बंगाल	28.08	27.83	22.71	19.66	17.76
कुल जोड़	23.70	23.72	21.57	21.64	20.73

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 01.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1433 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

प्राप्त टैरिफ सब्सिडी (ऋण अधिग्रहण के लिए उदय के अंतर्गत विनियामक आय और राजस्व अनुदान को छोड़कर) पर एसीएस-एआरआर अंतर

राज्य	वित्तीय वर्ष 2015-16	वित्तीय वर्ष 2016-17	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2019-20
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह			19.40	19.19	19.24
आंध्र प्रदेश	0.80	0.52	0.09	2.63	(0.18)
अरुणाचल प्रदेश	0.49	3.65	3.66	4.47	4.90
असम	0.23	0.06	(0.32)	(0.32)	(1.04)
बिहार	0.46	0.51	0.68	0.61	0.91
चंडीगढ़			(1.12)	(0.64)	(0.27)
छत्तीसगढ़	(0.01)	0.21	0.16	0.24	0.02
दादरा एवं नगर हवेली			0.01	(0.02)	(0.03)
दमन और दीव			(0.26)	0.61	0.52
दिल्ली	(0.37)	(0.08)	(0.08)	(0.22)	0.20
गोवा	0.71	0.70	(0.23)	0.27	0.61
गुजरात	(0.02)	(0.05)	(0.11)	(0.05)	(0.11)
हरियाणा	0.16	0.04	(0.08)	(0.05)	(0.06)
हिमाचल प्रदेश	(0.31)	0.18	0.03	(0.09)	(0.03)
जम्मू एवं कश्मीर	3.00	2.65	1.85	1.72	2.03
झारखंड	0.93	1.39	0.16	0.57	0.87
कर्नाटक	0.33	0.53	0.36	0.68	0.37
केरल	0.30	0.62	0.32	0.05	0.10
लक्षद्वीप			19.11	21.37	20.58
मध्य प्रदेश	0.87	0.81	0.88	1.33	0.69
महाराष्ट्र	0.43	0.59	0.25	(0.22)	0.27
मणिपुर	0.02	0.06	0.08	0.06	0.06
मेघालय	0.82	1.66	1.16	0.85	1.86
मिजोरम	2.06	2.12	2.13	3.70	0.57
नागालैंड	0.20	0.81	1.22	1.30	1.21
ओडिशा	0.39	0.38	0.32	0.60	0.34
पुदुचेरी	(0.02)	0.03	(0.02)	0.13	0.97
पंजाब	0.53	0.65	0.48	(0.07)	0.17
राजस्थान	1.83	1.79	1.49	1.50	1.49
सिक्किम	2.09	1.20	0.25	0.02	1.71
तमिलनाडु	0.67	0.50	1.41	1.80	1.75
तेलंगाना	0.74	1.23	1.11	1.38	1.09
त्रिपुरा	0.42	0.10	(0.08)	(0.14)	0.30
उत्तर प्रदेश	0.29	0.33	0.42	0.52	0.32
उत्तराखंड	0.10	0.24	0.18	0.56	0.21
पश्चिम बंगाल	0.52	0.36	(0.01)	0.10	0.22
कुल जोड़	0.54	0.59	0.49	0.66	0.50

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1434

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2023 को दिया गया

सीईआरसी और एपीटीईएल के कार्यकरण के संबंध में स्पष्टीकरण

1434. श्री पी. विल्सन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मंत्रालय द्वारा 30 मई, 2022 को जारी किए गए निर्देशों के बावजूद केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) सदस्यों द्वारा पारेषण लाइनों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित न करके वितरण कंपनियों के हितों और दक्षिणी राज्यों के हितों के लिए हानिकारक कार्य करने के क्या कारण हैं;
- (ख) क्या मंत्रालय ने इस बात का संज्ञान लिया है कि सीईआरसी में दक्षिणी राज्यों विशेषकर तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व नहीं है जिससे दक्षिणी क्षेत्र के हितों की उपेक्षा हो रही है और सीईआरसी के पक्षपातपूर्ण आदेशों से राज्य सरकारों को भारी नुकसान हो रहा है; और
- (ग) विद्युत अपीलीय अधिकरण (एपीटीईएल) में न्यायिक रिक्तियों और स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति करने तथा अवसंरचना संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 30.05.2022 के पत्र (अनुबंध पर संलग्न) द्वारा सीईआरसी से राष्ट्रीय घटक के अंतर्गत सभी एचवीडीसी अंतर-क्षेत्रीय लिंक के पारेषण प्रभारों पर विचार करने का अनुरोध किया था, बशर्ते कि पोसोको (अब गिड-इंडिया), सीईए और सीटीयू सहित हितधारकों के साथ परामर्श से, संबंधित एचवीडीसी अंतर-क्षेत्रीय लिंक के माध्यम से द्विदिशात्मक विद्युत प्रवाह की निश्चित मात्रा हो। इस संबंध में, सीईआरसी केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023 के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसे दिनांक 12.06.2023 को प्रकाशित किया गया है, जिसमें एचवीडीसी पारेषण प्रणालियों में विद्युत के द्विदिशात्मक प्रवाह के आधार पर 'राष्ट्रीय घटक' के अंतर्गत सभी अंतर-क्षेत्रीय एचवीडीसी पारेषण प्रणालियों के पारेषण प्रभारों को साझा करने का प्रस्ताव है।

(ख) : सीईआरसी के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति विद्युत अधिनियम, 2003 के संगत प्रावधानों के अनुसार की जाती है। सीईआरसी उपभोक्ता के हितों की रक्षा और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेता है। विनियमों का मसौदा तैयार करते समय और आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई याचिकाओं में दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों सहित सभी हितधारकों को समान अवसर दिए जाते हैं।

(ग) : एपटेल में तकनीकी सदस्य (विद्युत) का एक पद दिनांक 29.11.2021 से रिक्त है और न्यायिक सदस्य का एक पद दिनांक 04.12.2022 से रिक्त है। इन दोनों रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया जारी है। जहां तक, एपटेल में अन्य रिक्त पदों का संबंध है, रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया एपटेल में प्रक्रियाधीन है। दिनांक 29.4.2022 को न्यायिक सदस्य के पद के लिए रिक्ति परिपत्र जारी किया गया था। आवश्यकतानुसार, दिनांक 02.12.2022 को खोज-सह-चयन समिति अधिसूचित की गई थी। समिति ने कुछ अनिवार्य मंजूरीयों के बाद बातचीत के लिए कुछ उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है।

एपटेल का दिल्ली में किराए का कार्यालय परिसर है तथा अदालती कार्यवाही के संचालन हेतु उसके पास पर्याप्त अवसंरचना है।

राज्य सभा में दिनांक 01.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारंकित प्रश्न संख्या 1434 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सं.2/5/2022-ट्रांस
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली

दिनांक: 30 मई, 2022

सेवा में,

सचिव,
केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग
तीसरा एवं चौथा तल, चंद्रलोक बिल्डिंग,
36, जनपथ, नई दिल्ली - 110001

विषय: रायगढ़-पुगलूर-त्रिशूर एचवीडीसी लाइन की राष्ट्रीय घटक के रूप में घोषणा।

महोदय,

मुझे सीईआरसी (पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 के अनुसार "राष्ट्रीय घटक" के अंतर्गत साझा की जाने वाली प्रणाली के लिए राष्ट्रीय एवं कार्यनीतिक घटक तथा पारेषण प्रभारों के रूप में ± 800 केवी, 6000 मेगावाट रायगढ़-पुगलूर-त्रिशूर एचवीडीसी पारेषण प्रणाली (पुगलूर में 4000 मेगावाट टर्मिनल तथा त्रिशूर में 2000 मेगावाट) की घोषणा के संबंध में कर्नाटक और तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्रियों से प्राप्त संदर्भ ग्रहण करने का निदेश दिया गया है।

2. मंत्रालय में इस मामले की जांच भारतीय केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयूआईएल) और पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन (पोसोको) के परामर्श से की गई है। ऐसा पाया गया है कि

- i). मौजूदा सीईआरसी (पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 के अनुसार, सभी एचवीडीसी बैक-टू-बैक सबस्टेशनों के पारेषण प्रभारों को राष्ट्रीय घटक के अंतर्गत रखा गया है और इसे नामित अंतर-राज्यीय पारेषण ग्राहकों (डीआईसीज) द्वारा साझा किया गया है। एचवीडीसी लिंक के लिए, 70% प्रभार क्षेत्रीय घटक के अंतर्गत है और क्षेत्रीय लाभार्थियों द्वारा साझा किया जाता है तथा 30% राष्ट्रीय घटक के अंतर्गत हैं और निम्नलिखित 2 लिंक को छोड़कर, जहां 100% प्रभार राष्ट्रीय घटक के अंतर्गत हैं, सभी लाभार्थियों द्वारा साझा किया जाता है,:
 - बिस्वनाथ-चरियाली/अलीपुरद्वार-आगरा एचवीडीसी पारेषण प्रणाली
 - 1005 मेगावाट क्षमता के अनुरूप मुंद्रा-महेन्द्रगढ़ 2500 मेगावाट एचवीडीसी पारेषण प्रणाली
- ii). मौजूदा सीईआरसी शेयरिंग विनियम, 2020 के अनुसार, रायगढ़-पुगलूर-त्रिशूर प्रणाली के लिए 70% पारेषण प्रभार क्षेत्रीय घटक के अंतर्गत हैं तथा 30% राष्ट्रीय घटक के अंतर्गत है।
- iii). ± 800 केवी, 6000 मेगावाट रायगढ़-पुगलूर-त्रिशूर एचवीडीसी पारेषण प्रणाली (पुगलूर में 4000 मेगावाट टर्मिनल और त्रिशूर में 2000 मेगावाट सहित 5 एसी लिंक) की योजना बनाई गई थी ताकि

छत्तीसगढ़ में पिट हैड उत्पादन स्टेशनों और दक्षिणी क्षेत्र में भार केन्द्रों के बीच सीधा अंतर्संबंध की सुविधा हो सके और इसका अभिप्राय मुख्य रूप से दक्षिणी क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति से है। रायगढ़-पुगुलर के 4 खंभों को सितंबर, 2020-अक्टूबर, 2021 से कमीशन किया गया, जबकि पुगुलर-त्रिशूर के 2 खंभों को मार्च 2021-जून 2021 से कमीशन किया गया।

iv). इस लिंक के माध्यम से अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक का विद्युत प्रवाह पैटर्न संलग्न है। इस अवधि के दौरान, पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्यूआर) से दक्षिणी क्षेत्र (एसआर) की ओर विद्युत प्रवाह 64% है, जबकि एसआर से डब्ल्यूआर की ओर विद्युत प्रवाह 36% है। दक्षिणी क्षेत्र में और अधिक आरई उत्पादन स्टेशनों के कमीशन होने के साथ, एसआर से डब्ल्यूआर की ओर विद्युत भी बढ़ सकती है।

3. इस प्रकार, रायगढ़-पुगुलर-त्रिशूर एचवीडीसी पारेषण प्रणाली से पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र दोनों को लाभ मिल रहा है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि सीईआरसी (पारेषण प्रभारों एवं हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 के अनुसार "राष्ट्रीय घटक" के अंतर्गत उक्त पारेषण प्रणाली पर विचार करने का एक मामला है। तथापि, यह देखते हुए कि अन्य अंतर-क्षेत्रीय एचवीडीसी लिंक हैं, इसलिए सीईआरसी शेयरिंग रीजन, 2020 के अनुसार राष्ट्रीय घटक के अंतर्गत किसी भी एचवीडीसी लिंक पर विचार करना विवेकपूर्ण होगा।

4. तदनुसार, सीईआरसी से राष्ट्रीय घटक (सभी नामित अंतर-राज्यीय पारेषण ग्राहकों द्वारा वहन किए जाने वाले 100% पारेषण प्रभार) के अंतर्गत सभी एचवीडीसी अंतर-क्षेत्रीय लिंक के पारेषण प्रभारों पर विचार किए जाने का अनुरोध है, बशर्ते कि

- i). संबंधित एचवीडीसी अंतर-क्षेत्रीय लिंक के माध्यम से द्वि-दिशात्मक विद्युत प्रवाह की निश्चित मात्रा है।
- ii). पोसोको, सीईए तथा सीटीयू सहित हितधारकों के परामर्श से सीईआरसी द्वारा द्वि-दिशात्मक विद्युत प्रवाह की मात्रा पर [राष्ट्रीय घटक के अंतर्गत लिंक के 100% पारेषण प्रभारों पर विचार करने के लिए] निर्णय लिया जा सकता है।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

ह./-

(बिहारी लाल)

अवर सचिव (ट्रांस)

ई-मेल: transdesk-mop@nic.in

टेलीफैक्स: 011-23325242

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-1435

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2023 को दिया गया

टाइम ऑफ डे (टीओडी) प्रशुल्क प्रणाली

1435. श्री एम. शनमुगम:

श्री वाइको:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मंत्रालय दिन और रात के लिए अलग-अलग प्रशुल्क (टाइम ऑफ डे टैरिफ) प्रणाली लागू करने पर विचार कर रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह वाणिज्यिक और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू होगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या उपभोक्ताओं के लिए विद्युत प्रशुल्क महंगा हो जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या इस प्रस्ताव पर हितधारकों से कोई विचार/सुझाव मांगे गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी प्रतिक्रिया क्या है; और
- (च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 14.06.2023 की अधिसूचना द्वारा विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) संशोधन नियम, 2023 जारी किए हैं जिसमें टाइम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ के लिए नियम भी निर्दिष्ट किया गया है। इन नियमों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- टीओडी टैरिफ को 10 किलोवाट से अधिक की अधिकतम मांग वाले वाणिज्यिक तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से पहले किसी तिथि से प्रभावी किया जाएगा और कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य उपभोक्ताओं के लिए, टीओडी टैरिफ को दिनांक 1 अप्रैल, 2025 से पहले प्रभावी किया जाएगा।
- टीओडी टैरिफ को उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर संस्थापित करने के तुरंत बाद प्रभावी कर दिया जाएगा।
- टीओडी टैरिफ, दिन की व्यस्ततम अवधि के दौरान, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए सामान्य टैरिफ से 1.20 गुना से कम नहीं होगा और अन्य उपभोक्ताओं के लिए यह सामान्य टैरिफ से 1.10 गुना से कम नहीं होगा।
- राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट, दिन के, सौर घंटों के लिए टैरिफ, उपभोक्ताओं की उस श्रेणी के लिए सामान्य टैरिफ से कम से कम बीस प्रतिशत (20%) कम होगा।
- टीओडी टैरिफ सामान्य टैरिफ के ऊर्जा प्रभार घटक पर लागू होगा।
- व्यस्ततम घंटों की अवधि संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग या राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अधिसूचित सौर घंटों से अधिक नहीं होगी और सौर घंटों की अवधि राज्य आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट, एक दिन में आठ घंटे, होगी।

(ङ) और (च) : मसौदा नियमों को दिनांक 20.04.2023 को हितधारकों की टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। प्राप्त विचारों/सुझावों की जांच की गई और इन्हें उक्त कथित नियमों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1436

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2023 को दिया गया

पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए समर्थ मिशन

1436. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

श्री मोहम्मद नदीमुल हक:

डॉ. फौजिया खान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास संशोधित बायोमास नीति के अनुसार, कोयले के साथ 5 प्रतिशत बायोमास पैलेट का उपयोग करने के अधिदेशित को सफलतापूर्वक लागू करने वाले विद्युत संयंत्रों की संख्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने तापीय विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) में कोयले के साथ जलाने के लिए बायोमास पैलेट की उपलब्धता और उनकी खरीद सुनिश्चित करने के लिए कोई पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो मई 2023 तक कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ कितने मीट्रिक टन कृषि अवशेष-आधारित बायोमास का उपयोग किया गया है, तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : 47 ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ कृषि अवशिष्ट आधारित बायोमास पैलेट्स का को-फायरिंग किया गया है। विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 08.10.2021 की बायोमास नीति को संशोधित करने के लिए दिनांक 16.06.2023 को आशोधन जारी किया और अब वित्तीय वर्ष 2024-25 से ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपीज़) में 5% बायोमास को-फायरिंग अनिवार्य करता है। यह दायित्व वित्तीय वर्ष 2025-26 से 7% तक बढ़ जाएगा।

(ग) : सरकार ने टीपीपी में को-फायरिंग के लिए बायोमास पैलेट्स की उपलब्धता और खरीद सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं जैसे, एमएनआरई द्वारा वित्त सहायता स्कीमें तथा बायोमास पैलेट्स विनिर्माण यूनिटों के लिए सीपीसीबी जारी की गई, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल)

के अंतर्गत पात्र गतिविधि के रूप में 'बायोमास पैलेट्स विनिर्माण' को मंजूरी दी गई, जीईएम पोर्टल पर बायोमास श्रेणी का खरीद संबंधी प्रावधान किया गया, विद्युत मंत्रालय द्वारा बायोमास आपूर्ति के लिए संशोधित मॉडल दीर्घकालिक संविदा जारी की गई थी, वेंडर डेटाबेस को अंतिम रूप दिया गया तथा समर्थ वेबसाइट पर सूचीबद्ध किया गया, जागरूकता कार्यक्रम एवं विज्ञापन अभियान चलाए गए थे, राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली पर उद्यम आधार का प्रावधान, बायोमास पैलेट संयंत्रों के लिए बैंकेबल मॉडल परियोजना रिपोर्ट आदि।

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 03-05-2023 के नीतिगत परिशिष्ट के माध्यम से पराली/पुआल/डंठल/भूसी जैसे विभिन्न प्रकार के कृषि अवशेषों की विभिन्न किस्में इंगित की हैं, जो अधिशेष हैं और जिनका उपयोग बायोमास पैलेट्स बनाने हेतु पशु चारे के रूप में नहीं किया जा रहा है। इसमें धान, सोया, अरहर, ग्वार, कपास, चना, ज्वार, बाजरा, मूंग, सरसों, सीसेम, तिल, मक्का, सूरजमुखी, जूट, काफी आदि फसलों के साथ-साथ मूंगफली के छिलके, नारियल के खोल, अरंडी के बीज के खोल आदि से प्राप्त कृषि-अवशेष शामिल हैं।

इसके साथ-साथ, निम्नलिखित कृषि उत्पाद/फसल/अपशिष्ट से बने पैलेटों का उपयोग टीपीपीज़ जैसे बांस और इसके सह-उत्पादों, पेड़ों और पौधों के रखरखाव एवं छंटनी से प्राप्त सूखे पत्तों एवं कटाई छंटाई जैसे बागवानी संबंधी अपशिष्ट तथा अन्य बायोमास जैसे चीड़ के फल/कांटे, हाथी घास, सरकंडा आदि में को-फायरिंग करने के लिए भी किया जा सकता है।

(घ) : मई, 2023 तक 47 कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में लगभग 1,64,976 मीट्रिक टन कृषि अवशिष्ट-आधारित बायोमास का को-फायरिंग किया गया है। उक्त बायोमास पैलेटों की को-फायरिंग करने वाले ताप विद्युत संयंत्रों की राज्य-वार सूची **अनुबंध** में दी गई है।

राज्य सभा में दिनांक 01.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1436 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

मई, 2023 तक देश के सभी टीपीपीज़ में बायोमास उपयोग के राज्य-वार ब्यौरे

क्रम सं.	राज्य	संयंत्र का नाम	क्षमता (मेगावाट)	संचयी बायोमास उपयोग (मीट्रिक टन)	राज्यवार बायोमास उपयोग (मीट्रिक टन)
1	उत्तर प्रदेश	राष्ट्रीय राजधानी पावर स्टेशन, दादरी, उत्तर प्रदेश	1820	20617	70977
2		हरदुआगंज टीपीएस, उत्तर प्रदेश	1265	7392	
3		फ़िरोज़ गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन, उत्तर प्रदेश	1550	9486	
4		टांडा थर्मल पावर स्टेशन, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश	1760	3806	
5		महान अल. यूनिट- सीपीपी, उत्तर प्रदेश	900	29676	
6	हरियाणा	यमुनानगर टीपीएस, हरियाणा	600	455	20969
7		राजीव गांधी टीपीएस, हिसार, हरियाणा	1200	95	
8		आईजीएसटीपीपी, झज्जर, हरियाणा	1500	16008	
9		महात्मा गांधी टीपीएस, झज्जर, हरियाणा	1320	4411	
10	पंजाब	नाभा पावर लिमिटेड (एनपीएल), पंजाब	1400	30	180
11		गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल प्लांट रोपड़ (जीजीएसएसटीपी), रोपड़, पंजाब	840	61	
12		गुरु हरगोबिंद थर्मल प्लांट (जीएचटीपी), लहरा मोहब्बत, पंजाब	920	39	
13		टीएसपीएल, मनसा, पंजाब	1980	50	
14	महाराष्ट्र	मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, नागपुर, महाराष्ट्र	2320	24167	27349
15		सोलापुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, सोलापुर, एमएच	1320	3060	
16		धारीवाल थर्मल पावर प्लांट चंद्रपुर, एमएच	600	87	
17		जीएमआर वरोरा एनर्जी लिमिटेड, महाराष्ट्र	600	20	
18		जेएसडब्ल्यू एनर्जी - रत्नागिरी महाराष्ट्र	1200	5	
19		साई वर्धा पावर जेनरेशन लिमिटेड, एमएच	540	10	
20	कर्नाटक	कुडगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन, बीजापुर, कर्नाटक	2400	1912	2248
21		जेएसडब्ल्यू एनर्जी - टीपीपी बेल्लारी, कर्नाटक	860	336	
22	आंध्र प्रदेश	सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन, आंध्र प्रदेश	2000	4551	4551
23	छत्तीसगढ़	लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, रायगढ़, छत्तीसगढ़	1600	489	11464
24		सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	2980	3882	
25		जिंदल सुपर थर्मल पावर प्लांट तमनार, छत्तीसगढ़	3400	24	
26		रायपुर एनर्जन लिमिटेड, छत्तीसगढ़	1370	77	
27		बदादरहा टीपीपी, छत्तीसगढ़	1200	25	
28		रायगढ़ एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड, छत्तीसगढ़	600	25	
29		भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़	1740	6942	
30	मध्य प्रदेश	गाडरवारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, मध्य प्रदेश	1600	3140	17603
31		खरगोन सुपर थर्मल पावर स्टेशन, मध्य प्रदेश	1320	13417	
32		जेपी निगरी सुपर थर्मल पावर प्लांट, मध्य प्रदेश	1320	577	
33		जेपी बीना टीपीएस, मध्य प्रदेश	500	425	
34		सासन पावर लिमिटेड मध्य प्रदेश	3960	44	
35	बिहार	कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन, बिहार	2340	10	10
36	पश्चिम बंगाल	बज बज थर्मल पावर स्टेशन, पश्चिम बंगाल	750	181	896
37		हल्दिया थर्मल पावर प्लांट, पश्चिम बंगाल	600	90	
38		फरक्का सुपर थर्मल पावर प्लांट, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	2100	77	
39		दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन (डीएसटीपीएस)	1000	501	
40		बकरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन, पश्चिम बंगाल	1050	22	
41		सागरदिघी टीपीएस, पश्चिम बंगाल	1600	25	
42	राजस्थान	अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड, राजस्थान	1320	111	7927
43		श्री मेगा पावर बेवर (सीएफबीसी), राजस्थान	344	7816	
44	ओडिशा	झारसुगुड़ा कैप्टिव पावर, ओडिशा	1215	44	64
45		जीएमआर कमल गंगा, ओडिशा	700	20	
46	तमिलनाडु	ओपीजी पावर जेनरेशन प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडु	420	715	715
47	झारखंड	जोजोबेरा पावर प्लांट, झारखंड	427.5	23	23
कुल जोड़			64351.5	164976	164976

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1437
जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2023 को दिया गया

विद्युत उत्पादन

1437. श्री के.सी. वेणुगोपाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न माध्यमों/स्रोतों से उत्पादित विद्युत का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ग) विद्युत उत्पादन हेतु जल का उपयोग करने पर कर वसूलने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : पिछले वर्ष अर्थात् 2022-23 और वर्तमान वर्ष 2023-24 (मई, 2023 तक) के दौरान देश में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध पर दिए गए हैं।

(ख) : विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए, देश में दिनांक 30 जून 2023 तक की स्थिति के अनुसार 25440 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 18 कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं, 370 मेगावाट की क्षमता वाली एक (1) गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना और कुल 18033.5 मेगावाट क्षमता वाली 42 हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, कुल 8000 मेगावाट की परमाणु क्षमता निर्माण के विभिन्न चरणों में है। साथ ही, वर्ष 2030 तक 22840 मेगावाट की अतिरिक्त कोयला आधारित ताप विद्युत क्षमता की योजना बनाई गई है, जिसमें से 15300 मेगावाट केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत और 7540 मेगावाट राज्य क्षेत्र के अंतर्गत होगी।

(ग) : निम्नलिखित चार (4) राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों ने जल के गैर-उपभोग्य उपयोग पर जल कर/जल उपयोग प्रभार लगाए हैं:

- (i) जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र (पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य)
- (ii) उत्तराखंड
- (iii) सिक्किम
- (iv) हिमाचल प्रदेश

राज्य सभा में दिनांक 01.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1437 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले वर्ष अर्थात् 2022-23 और वर्तमान वर्ष 2022-23 (मई, 2023 तक) के दौरान देश में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन के राज्यवार ब्यौरे

(जीडब्ल्यूएच में)

राज्य	वर्ष 2022-23					वर्ष 2023-24 (अप्रैल से मई)				
	तापीय	न्युक्लियर	हाइड्रो	नवीकरणीय	कुल	तापीय	न्युक्लियर	हाइड्रो	नवीकरणीय	कुल
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	2.95	2.95
दिल्ली	3784.30	0.00	0.00	530.20	4314.50	370.67	0.00	0.00	110.26	480.93
हरियाणा	32139.27	0.00	0.00	1419.73	33559.00	4380.57	0.00	0.00	237.04	4617.61
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	38666.98	2912.95	41579.93	0.00	0.00	4830.43	483.87	5314.30
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	16777.42	393.20	17170.62	0.00	0.00	3531.31	100.98	3632.29
लद्दाख	0.00	0.00	402.78	0.00	402.78	0.00	0.00	35.77	0.00	35.77
पंजाब	31506.16	0.00	4399.65	4169.59	40075.40	5411.41	0.00	537.09	928.25	6876.75
राजस्थान	57418.72	6587.27	967.43	40990.05	105963.47	9700.09	1216.56	6.24	8514.47	19437.36
उत्तर प्रदेश	152063.22	3192.62	974.04	7217.18	163447.06	25347.83	586.04	53.94	1382.51	27370.32
उत्तराखंड	0.00	0.00	15435.77	933.72	16369.49	199.76	0.00	1664.47	155.62	2019.85
छत्तीसगढ़	142599.20	0.00	237.37	2003.05	144839.62	28152.59	0.00	34.03	389.64	28576.26
गोवा	0.00	0.00	0.00	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	8.93	8.93
गुजरात	55481.62	3639.91	6133.14	29762.63	95017.30	12803.29	636.84	266.76	7739.67	21446.56
मध्य प्रदेश	135838.47	0.00	7309.07	8872.72	152020.26	24228.53	0.00	382.69	1730.73	26341.95
महाराष्ट्र	126907.03	8985.48	5894.29	17206.59	158993.39	23695.17	1077.21	1481.01	2583.53	28836.92
आंध्र प्रदेश	61541.93	0.00	3747.58	16411.91	81701.42	12359.14	0.00	242.88	2546.52	15148.54
कर्नाटक	35014.30	7443.24	13157.34	29575.44	85190.32	7612.26	1251.78	2004.77	4515.86	15384.67
केरल	0.12	0.00	7989.00	1946.26	9935.38	0.00	0.00	1243.44	312.15	1555.59
पुदुचेरी	233.07	0.00	0.00	12.24	245.31	40.75	0.00	0.00	2.04	42.79
तमिलनाडु	67083.23	16012.57	5965.77	27626.45	116688.02	13321.76	2239.93	477.38	3578.07	19617.14
तेलंगाना	50738.20	0.00	6010.07	7429.89	64178.16	9494.59	0.00	106.60	1373.82	10975.01
लक्षद्वीप	15.02	0.00	0.00	0.10	15.12	11.66	0.00	0.00	0.02	11.68
अंडमान निकोबार	214.57	0.00	0.00	37.88	252.45	61.01	0.00	0.00	5.79	66.80
बिहार	55200.21	0.00	0.00	288.85	55489.06	9832.35	0.00	0.00	56.53	9888.88
झारखंड	30472.78	0.00	305.47	19.70	30797.95	5821.13	0.00	14.59	2.94	5838.66
पश्चिम बंगाल	87612.45	0.00	3423.73	1959.12	92995.30	15891.14	0.00	415.98	326.63	16633.75
ओडिशा	64874.24	0.00	5462.81	1192.10	71529.15	11684.39	0.00	770.41	195.86	12650.66
सिक्किम	0.00	0.00	11696.79	12.35	11709.14	0.00	0.00	1461.52	2.06	1463.58
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	4820.94	24.85	4845.79	0.00	0.00	483.41	0.52	483.93
असम	8393.08	0.00	481.60	279.01	9153.69	1473.21	0.00	29.95	60.32	1563.48
मणिपुर	0.00	0.00	477.98	8.79	486.77	0.00	0.00	12.71	2.57	15.28
मेघालय	0.00	0.00	980.25	72.16	1052.41	0.00	0.00	84.66	8.66	93.32
मिजोरम	0.00	0.00	204.13	62.27	266.40	0.00	0.00	12.47	16.52	28.99
नागालैंड	0.00	0.00	177.37	111.95	289.32	0.00	0.00	3.14	7.06	10.20
त्रिपुरा	7079.48	0.00	0.00	6.58	7086.06	1195.46	0.00	0.00	1.08	1196.54
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	5.09	5.09
भूटान से आयात	0.00	0.00	6742.40	0.00	6742.40	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00
कुल जोड़	1206210.67	45861.09	168841.17	203552.68	1624465.61	223088.76	7008.36	20377.65	37388.56	287863.33

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1438
जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2023 को दिया गया

देश में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा वितरण

1438. श्री राजेन्द्र गहलोत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा का राज्य-वार कुल वितरण क्या है;

(ख) देश में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उत्पादन और उपयोग में सबसे कम हिस्सेदारी वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा दोनों के निर्यात से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : पिछले वर्ष अर्थात् वर्ष 2022-23 और वर्तमान वर्ष 2023-24 (मई, 2023 तक) के दौरान देश में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन के राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध-I** पर दिए गए हैं।

(ख) : देश में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उत्पादन और उपयोग में पूर्वोक्त क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे कम है। पिछले वर्ष अर्थात् वर्ष 2022-23 और वर्तमान वर्ष 2023-24 (मई, 2023 तक) के दौरान नवीकरणीय स्रोतों से क्षेत्र-वार और राज्य-वार विद्युत उत्पादन के ब्यौरे **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं।

(ग) : भारत द्वारा विभिन्न पड़ोसी देशों से निर्यातित/आयातित ऊर्जा की मात्रा के ब्यौरे **अनुबंध-III** पर दिए गए हैं।

अनुबंध-1

राज्य सभा में दिनांक 01.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1438 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले वर्ष अर्थात् 2022-23 और वर्तमान वर्ष 2023-24 (मई, 2023 तक) के दौरान देश में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन के राज्यवार ब्यौरे

(जीडब्ल्यूएच में)

राज्य	वर्ष 2022-23					वर्ष 2023-24 (अप्रैल से मई)				
	तापीय	न्युक्लियर	हाइड्रो	नवीकरणीय	कुल	तापीय	न्युक्लियर	हाइड्रो	नवीकरणीय	कुल
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	2.95	2.95
दिल्ली	3784.30	0.00	0.00	530.20	4314.50	370.67	0.00	0.00	110.26	480.93
हरियाणा	32139.27	0.00	0.00	1419.73	33559.00	4380.57	0.00	0.00	237.04	4617.61
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	38666.98	2912.95	41579.93	0.00	0.00	4830.43	483.87	5314.30
जम्मू एवं कश्मीर	0.00	0.00	16777.42	393.20	17170.62	0.00	0.00	3531.31	100.98	3632.29
लद्दाख	0.00	0.00	402.78	0.00	402.78	0.00	0.00	35.77	0.00	35.77
पंजाब	31506.16	0.00	4399.65	4169.59	40075.40	5411.41	0.00	537.09	928.25	6876.75
राजस्थान	57418.72	6587.27	967.43	40990.05	105963.47	9700.09	1216.56	6.24	8514.47	19437.36
उत्तर प्रदेश	152063.22	3192.62	974.04	7217.18	163447.06	25347.83	586.04	53.94	1382.51	27370.32
उत्तराखंड	0.00	0.00	15435.77	933.72	16369.49	199.76	0.00	1664.47	155.62	2019.85
छत्तीसगढ़	142599.20	0.00	237.37	2003.05	144839.62	28152.59	0.00	34.03	389.64	28576.26
गोवा	0.00	0.00	0.00	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	8.93	8.93
गुजरात	55481.62	3639.91	6133.14	29762.63	95017.30	12803.29	636.84	266.76	7739.67	21446.56
मध्य प्रदेश	135838.47	0.00	7309.07	8872.72	152020.26	24228.53	0.00	382.69	1730.73	26341.95
महाराष्ट्र	126907.03	8985.48	5894.29	17206.59	158993.39	23695.17	1077.21	1481.01	2583.53	28836.92
आंध्र प्रदेश	61541.93	0.00	3747.58	16411.91	81701.42	12359.14	0.00	242.88	2546.52	15148.54
कर्नाटक	35014.30	7443.24	13157.34	29575.44	85190.32	7612.26	1251.78	2004.77	4515.86	15384.67
केरल	0.12	0.00	7989.00	1946.26	9935.38	0.00	0.00	1243.44	312.15	1555.59
पुदुचेरी	233.07	0.00	0.00	12.24	245.31	40.75	0.00	0.00	2.04	42.79
तमिलनाडु	67083.23	16012.57	5965.77	27626.45	116688.02	13321.76	2239.93	477.38	3578.07	19617.14
तेलंगाना	50738.20	0.00	6010.07	7429.89	64178.16	9494.59	0.00	106.60	1373.82	10975.01
लक्षद्वीप	15.02	0.00	0.00	0.10	15.12	11.66	0.00	0.00	0.02	11.68
अंडमान निकोबार	214.57	0.00	0.00	37.88	252.45	61.01	0.00	0.00	5.79	66.80
बिहार	55200.21	0.00	0.00	288.85	55489.06	9832.35	0.00	0.00	56.53	9888.88
झारखंड	30472.78	0.00	305.47	19.70	30797.95	5821.13	0.00	14.59	2.94	5838.66
पश्चिम बंगाल	87612.45	0.00	3423.73	1959.12	92995.30	15891.14	0.00	415.98	326.63	16633.75
ओडिशा	64874.24	0.00	5462.81	1192.10	71529.15	11684.39	0.00	770.41	195.86	12650.66
सिक्किम	0.00	0.00	11696.79	12.35	11709.14	0.00	0.00	1461.52	2.06	1463.58
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	4820.94	24.85	4845.79	0.00	0.00	483.41	0.52	483.93
असम	8393.08	0.00	481.60	279.01	9153.69	1473.21	0.00	29.95	60.32	1563.48
मणिपुर	0.00	0.00	477.98	8.79	486.77	0.00	0.00	12.71	2.57	15.28
मेघालय	0.00	0.00	980.25	72.16	1052.41	0.00	0.00	84.66	8.66	93.32
मिजोरम	0.00	0.00	204.13	62.27	266.40	0.00	0.00	12.47	16.52	28.99
नागालैंड	0.00	0.00	177.37	111.95	289.32	0.00	0.00	3.14	7.06	10.20
त्रिपुरा	7079.48	0.00	0.00	6.58	7086.06	1195.46	0.00	0.00	1.08	1196.54
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	5.09	5.09
भूटान से आयात	0.00	0.00	6742.40	0.00	6742.40	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00
कुल जोड़	1206210.67	45861.09	168841.17	203552.68	1624465.61	223088.76	7008.36	20377.65	37388.56	287863.33

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 01.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1438 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले वर्ष अर्थात् 2022-23 और वर्तमान वर्ष 2023-24 (मई, 2023 तक) के दौरान नवीकरणीय स्रोतों से क्षेत्र-वार और राज्य-वार विद्युत उत्पादन के ब्यौरे

(जीडब्ल्यूएच में)

राज्य	वर्ष 2022-23			वर्ष 2023-24 (अप्रैल से मई)		
	हाइड्रो	नवीकरणीय	कुल	हाइड्रो	नवीकरणीय	कुल
चंडीगढ़	0.00	12.61	12.61	0.00	2.95	2.95
दिल्ली	0.00	530.20	530.20	0.00	110.26	110.26
हरियाणा	0.00	1419.73	1419.73	0.00	237.04	237.04
हिमाचल प्रदेश	38666.98	2912.95	41579.93	4830.43	483.87	5314.30
जम्मू एवं कश्मीर	16777.42	393.20	17170.62	3531.31	100.98	3632.29
लद्दाख	402.78	0.00	402.78	35.77	0.00	35.77
पंजाब	4399.65	4169.59	8569.24	537.09	928.25	1465.34
राजस्थान	967.43	40990.05	41957.48	6.24	8514.47	8520.71
उत्तर प्रदेश	974.04	7217.18	8191.22	53.94	1382.51	1436.45
उत्तराखंड	15435.77	933.72	16369.49	1664.47	155.62	1820.09
उत्तरी क्षेत्र	77624.07	58579.22	136203.29	10659.25	11915.95	22575.20
छत्तीसगढ़	237.37	2003.05	2240.42	34.03	389.64	423.67
गोवा	0.00	19.96	19.96	0.00	8.93	8.93
गुजरात	6133.14	29762.63	35895.77	266.76	7739.67	8006.43
मध्य प्रदेश	7309.07	8872.72	16181.79	382.69	1730.73	2113.42
महाराष्ट्र	5894.29	17206.59	23100.88	1481.01	2583.53	4064.54
दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	30.62	30.62	0.00	5.09	5.09
पश्चिमी क्षेत्र	19573.87	57895.56	77469.43	2164.49	12457.59	14622.08
आंध्र प्रदेश	3747.58	16411.91	20159.49	242.88	2546.52	2789.40
कर्नाटक	13157.34	29575.44	42732.78	2004.77	4515.86	6520.63
केरल	7989.00	1946.26	9935.26	1243.44	312.15	1555.59
पुदुचेरी	0.00	12.24	12.24	0.00	2.04	2.04
तमिलनाडु	5965.77	27626.45	33592.22	477.38	3578.07	4055.45
तेलंगाना	6010.07	7429.89	13439.96	106.60	1373.82	1480.42
लक्षद्वीप	0.00	0.10	0.10	0.00	0.02	0.02
दक्षिणी क्षेत्र	36869.76	83002.29	119872.05	4075.07	12328.48	16403.55
अंडमान निकोबार	0.00	37.88	37.88	0.00	5.79	5.79
बिहार	0.00	288.85	288.85	0.00	56.53	56.53
झारखंड	305.47	19.70	325.17	14.59	2.94	17.53
पश्चिम बंगाल	3423.73	1959.12	5382.85	415.98	326.63	742.61
ओडिशा	5462.81	1192.10	6654.91	770.41	195.86	966.27
सिक्किम	11696.79	12.35	11709.14	1461.52	2.06	1463.58
पूर्वी क्षेत्र	20888.80	3510.00	24398.80	2662.50	589.81	3252.31
अरुणाचल प्रदेश	4820.94	24.85	4845.79	483.41	0.52	483.93
असम	481.60	279.01	760.61	29.95	60.32	90.27
मणिपुर	477.98	8.79	486.77	12.71	2.57	15.28
मेघालय	980.25	72.16	1052.41	84.66	8.66	93.32
मिजोरम	204.13	62.27	266.40	12.47	16.52	28.99
नागालैंड	177.37	111.95	289.32	3.14	7.06	10.20
त्रिपुरा	0.00	6.58	6.58	0.00	1.08	1.08
भूटान से आयात	6742.40	0.00	6742.40	190.00	0.00	190.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र	13884.67	565.60	14450.27	816.34	96.74	913.08
कुल जोड़	168841.17	203552.68	372393.85	20377.65	37388.56	57766.21

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 01.08.2023 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1438 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

भारत द्वारा विभिन्न पड़ोसी देशों से निर्यातित/आयातित ऊर्जा की मात्रा के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वित्तीय वर्ष	भूटान		नेपाल		बांग्लादेश	म्यांमार
	निर्यातित ऊर्जा एमयू	आयातित ऊर्जा एमयू	निर्यातित ऊर्जा एमयू	आयातित ऊर्जा एमयू	निर्यातित ऊर्जा एमयू	निर्यातित ऊर्जा एमयू
वर्ष 2020-21	0	9318	1866	0	7552	9
वर्ष 2021-22	138	7819	2084	164	7322	9
वर्ष 2022-23	200	6580	1421	1263	8622	10
वर्ष 2023-24 (जून 2023 तक)	22	782	703	89	2181	2

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1439

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2023 को दिया गया

ताप विद्युत संयंत्रों के लिए आयातित कोयला

1439. श्री जवाहर सरकार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत पांच वर्षों के दौरान ताप विद्युत के लिए कोयले की कमी का ब्यौरा क्या है जिसके कारण ताप विद्युत संयंत्रों में मिश्रण करने के लिए अधिक महंगे कोयले का आयात करना अनिवार्य हो गया है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान ताप विद्युत संयंत्रों में आयातित कोयले के कारण विद्युत लागत में कितनी वृद्धि हुई और इसका वर्तमान वर्ष के लिए क्या अनुमान है;
- (ग) विद्युत संयंत्रों में घरेलू कोयले के पर्याप्त भंडार का संग्रहण न होने के क्या कारण हैं; और
- (घ) क्या आयातित कोयले और इसके परिवहन अथवा रख-रखाव में कतिपय प्रमुख निजी कंपनियों द्वारा मुनाफाखोरी की जा रही है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : ताप विद्युत संयंत्रों (डीसीबी या आईसीबी) द्वारा कोयला, चाहे घरेलू हो या आयातित, अपनी आवश्यकतानुसार पृथक रूप से खरीदा जाता है। कोयला वर्ष 1993 से मुक्त सामान्य अनुज्ञप्ति (ओजीएल) के अंतर्गत है, ताप विद्युत संयंत्र/उत्पादक अपनी प्राथमिकता के अनुसार और अपनी वाणिज्यिक विवेकशीलता पर आधारित जरूरतों के अनुसार नियमित रूप से कोयले का आयात (आयातित कोयले का जीसीवी मान अधिक होता है और इसलिए यह अच्छी गुणवत्ता का है) कर रहे हैं। अनेक विद्युत संयंत्र हैं, जो विशिष्ट रूप से आयातित कोयले पर आधारित हैं। घरेलू कोयला आधारित संयंत्रों में, आयातित कोयले का मिश्रण वर्ष 2011-12 के 26.5 मिलियन टन से वर्ष 2014-15 में 48.5 मिलियन टन के बीच रहा। सीईए द्वारा डीसीबी और आईसीबी द्वारा कोयले के आयात से संबंधित सूचना नियमित रूप से एकत्र की जाती है और इसकी निगरानी की जाती है।

पिछले 5 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान विद्युत संयंत्रों द्वारा कोयले के आयात का ब्यौरा निम्नानुसार है:

सभी आंकड़े मिलियन टन में

कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में आयातित कोयले की प्राप्ति			
वर्ष	घरेलू कोयला आधारित संयंत्र (ब्लैंडिंग)	आयातित कोयला आधारित संयंत्र	कुल
2018-19	21.4	40.3	61.7
2019-20	23.8	45.5	69.2

2020-21	10.4	35.1	45.5
2021-22	8.1	18.9	27.0
2022-23	35.1	20.5	55.6
2023-24 (अप्रैल-जून)	6.5	7.7	14.2

उपरोक्त तालिका स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि, डीसीबी के लिए, कोयले के आयात में वर्ष 2019-20 से कमी आ रही है, जिसका मुख्य कारण घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए विभिन्न नीतिगत उपायों के कारण घरेलू कोयले की उपलब्धता में वृद्धि है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 में, विद्युत मंत्रालय ने भी जेनकोज को अपने आयात को कम करने की सलाह दी क्योंकि कोयला मंत्रालय ने सूचित किया कि पर्याप्त घरेलू कोयला उपलब्ध था। तथापि, जुलाई, 2021 के बाद से मांग बढ़ने के कारण कोयले की खपत आपूर्ति से अधिक हो गई, जिससे विद्युत संयंत्रों में कोयला का स्टॉक दिनांक 30.06.2021 तक की स्थिति के अनुसार 28.7 मिलियन टन (एमटी) से घटकर दिनांक 30.09.2021 तक की स्थिति के अनुसार लगभग 8.1 मिलियन टन (एमटी) हो गया था। यह व्यापक रूप से केवल साढ़े तीन दिनों के लिए ही पर्याप्त था। इस अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही) के दौरान, स्टॉक में घरेलू कोयले की खपत और आपूर्ति के बीच का अंतर लगभग 2.38 लाख टन/दिन रहा है। विद्युत मंत्रालय ने, खपत की तुलना में घरेलू कोयला आपूर्ति की प्रवृत्ति को देखते हुए और दूसरी तिमाही के अंत में घरेलू स्टॉक की चिंताजनक स्थिति की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए, दिसंबर, 2021 में सभी राज्यों के जेनकोज और आईपीपी को वर्ष 2022-23 के दौरान अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयला @4% (भार से) और एनटीपीसी/डीवीसी @ 10% (भार से) आयात करने की सलाह दी। माह अप्रैल, 2022 के दौरान, विद्युत की मांग और विद्युत संयंत्रों में कोयले की खपत अप्रैल, 2021 की तुलना में लगभग 12% बढ़ गई है। विद्युत की अधिक मांग और कोयले की प्राप्ति खपत से कम होने के कारण कम हो रहे कोयले के स्टॉक को देखते हुए, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 28.04.2022 को राज्यों और आईपीपी को विद्युत उत्पादन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी आवश्यकता का 10% कोयला (भार से) आयात करने की सलाह दी।

आयातित कोयले की खरीद और भुगतान जेनकोज द्वारा किया जाता है।

अप्रैल-सितंबर, 2022 (वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली व दूसरी तिमाही) के दौरान, घरेलू कोयले की प्राप्ति 385 मीट्रिक टन (घरेलू: 359 मीट्रिक टन+आयातित: 1.4 x 18.9 मीट्रिक टन) की खपत की तुलना में लगभग 355 मीट्रिक टन थी। यदि ब्लेंडिंग प्रयोजन के लिए कोई आयात नहीं हुआ होता, तो घरेलू कोयला आधारित संयंत्रों में उपलब्ध कोयला स्टॉक, जो वित्त वर्ष 2022-23 की शुरुआत में लगभग 24 मीट्रिक टन था, वह सितंबर, 2022 के दौरान घटकर शून्य हो गया होता। वित्त वर्ष 2022-23 के पूर्वार्द्ध के दौरान घरेलू कोयले की आपूर्ति और कोयले की खपत के बीच का अंतर लगभग 1.6 लाख टन/दिन था। स्थिति में सुधार होने पर विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 01.08.2022 को जेनकोज को स्टॉक स्तर की निरंतर निगरानी के साथ घरेलू कोयला आपूर्ति और स्टॉक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ब्लेंडिंग(आवश्यकता आधारित ब्लेंडिंग) के संबंध में अपने स्तर पर निर्णय लेने की सलाह दी। तथापि, सितंबर, 2022 से जनवरी, 2023 के दौरान, दैनिक कोयले की खपत और घरेलू कोयले की दैनिक आवक के बीच का अंतर 0.26 मिलियन टन से 0.05 मिलियन टन की रेंज में था। अतएव विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 09.01.2023 को केंद्रीय, राज्य जेनकोज और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) को ब्लेंडिंग के लिए पारदर्शी प्रतिस्पर्धी क्रय के माध्यम से कोयला आयात करने की सलाह दी ताकि वे अपने विद्युत संयंत्रों में सितंबर, 2023 तक सुचारु प्रचालन के लिए पर्याप्त कोयला स्टॉक बनाए रख सकें।

विद्युत के उत्पादन की लागत कोयले के मूल्य और भाड़े की लागत तथा ब्लैंडिंग के मामले में भी ब्लैंडेड आयातित कोयले के मूल्य पर निर्भर करती है। आयातित कोयले की कीमत अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों, उत्पत्ति के स्रोत और समुद्री भाड़े, बीमा आदि जैसे कारकों से जुड़ी हुई है जो अंतरराष्ट्रीय मांग आपूर्ति परिदृश्य के साथ परिवर्तित होती रहती है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक उत्पादक कंपनी अपनी आवश्यकतानुसार आयातित कोयले की खपत करती है।

(ग) और (घ) : सम्मिश्रण के कारण, संयंत्रों में कोयले के स्टॉक में सुधार हुआ है। दिनांक 17.07.2023 तक 165 घरेलू कोयला आधारित (डीसीबी) संयंत्रों में उपलब्ध कोयला स्टॉक 33.4 मीट्रिक टन था, जो इन संयंत्रों को 85% संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) औसतन 13 दिनों तक चलाने के लिए पर्याप्त है। 41.5 मिलियन टन (एमटी) आयातित कोयले का उपयोग दिनांक 01.04.2022 और दिनांक 22.07.2023 के बीच मिश्रण के लिए किया गया था। यह 58.1 मिलियन टन (एमटी) घरेलू कोयले के बराबर है। यदि यह मिश्रण नहीं हुआ होता तो सितंबर, 2022 के आसपास स्टॉक शून्य हो जाता है और शून्य स्तर पर ही रहता क्योंकि आपूर्ति और खपत के बीच अंतर जारी रहता।

सरकार ने निर्बाध विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत संयंत्रों को कोयले की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- I. विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए, विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों का एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने के साथ-साथ विद्युत संयंत्रों में संकटपूर्ण कोयला स्टॉक की स्थिति को कम करने सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किन्हीं आकस्मिक स्थितियों के लिए नियमित रूप से बैठक करता है।
- II. कोयला स्टॉकों की निगरानी के लिए नियमित रूप से अंतर-मंत्रालयी सचिव-स्तरीय बैठक आयोजित की जाती है।
- III. रेलवे के अनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान, लगभग 8800 कोयला ढोने वाले वैगनों (लगभग 150 रोक) का नेट इंडक्शन किया गया था। वर्ष 2023-24 के दौरान, कोयला ढोने वाले रोकस का संभावित नेट इंडक्शन लगभग 200 रोकस का होगा, जिससे कोयले की लोडिंग के लिए अतिरिक्त 50 रोक/दिन की व्यवस्था हो सकेगी। वैगन इंडक्शन के कारण वार्षिक कोयला परिवहन क्षमता में लगभग 70 मिलियन टन (एमटी) की वृद्धि संभावित है। इसी प्रकार, वर्ष 2024-25 में कोयला ढोने वाले रोकस का नेट इंडक्शन लगभग 250 रोकस का होने की संभावना है, जिससे अतिरिक्त 60 रोकस/दिन की व्यवस्था हो सकेगी। वैगन इंडक्शन के कारण वार्षिक कोयला परिवहन क्षमता में लगभग 85 एमटी की वृद्धि होने की संभावना है।
- IV. रेलवे ने कोयला निकासी के संवर्धन के लिए 40 परियोजनाएं अभिचिन्हित की हैं। इन 40 परियोजनाओं में से, 17 परियोजनाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं और 23 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इन 23 परियोजनाओं में से, वर्ष 2026-27 तक 18 परियोजनाओं के पूरे होने की संभावना है।
- V. रेलवे के अनुसार, वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 के दौरान कोयला परिवहन क्षमता में लगभग 185 एमटी की वृद्धि होने की संभावना है।

जेनकोज़ द्वारा अपनी आवश्यकता पर विचार करते हुए स्वयं कोयले का आयात किया जाता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1440
जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2023 को दिया गया

ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक चूल्हों पर खाना पकाना

1440. श्री सुशील कुमार गुप्ता:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक चूल्हों पर खाना पकाने को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कोई योजना तैयार की है;
- (ख) क्या मंत्रालय इलेक्ट्रिक चूल्हों पर खाना पकाने के लिए उपकरणों की महंगी कीमतों की चुनौती से निपटने के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को शामिल करने के लिए कोई कदम उठा रहा है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय भविष्य में एलपीजी की कम आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए इस पर गंभीरता से विचार करेगा?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) :

(I) ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक कुकिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य नामित एजेंसियों (एसडीएज़) के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), एक सांविधिक निकाय, द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है:-

- (i) प्रदर्शन परियोजनाएँ
(ii) क्षमता विनिर्माण सेमिनारों/कार्यशालाओं, रोड शो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि के माध्यम से "गो इलेक्ट्रिक" अभियान के अंतर्गत जागरूकता सृजन।

(II) विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल), अंतिम लाभार्थियों के लिए स्वच्छ कुकिंग साधनों को और

अधिक किफायती बनाने और मांग एकत्र दृष्टिकोण रखते हुए उनके व्यापक अभिग्रहण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। ईईएसएल स्वच्छ कुकिंग साधन अपनाने के प्रोत्साहन हेतु तीन अलग-अलग मॉडल तैयार कर रहा है। प्रारंभिक मॉडल में शहरी क्षेत्रों में इंडक्शन कुक-स्टोव की शुरुआत करना शामिल है। श्रेणी-2 शहरों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, ग्रिड से जुड़े सौर-आधारित इंडक्शन कुक-स्टोव का प्रसार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में, बैटरी भंडारण सहित सौर-आधारित इंडक्शन कुक-स्टोव प्रचलित करने की योजना है।

(III) एलपीजी पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण की दृष्टि से एक स्थायी कुकिंग समाधान करने के उद्देश्य से, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) ने सौर आधारित कुकटॉप नामतः "सूर्य नूतन" के 3 मॉडल विकसित किए हैं जो एलपीजी की बढ़ती स्वीकार्यता और भारतीय बाजार में आगामी घरेलू उपलब्धता की पृष्ठभूमि के निमित्त ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। आवश्यकता की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, सभी मॉडलों को संकरण संबंधी विकल्प से सुसज्जित किया गया है ताकि ग्रिड विद्युत का उपयोग सूर्य नूतन के माध्यम से चार्जिंग तथा कुकिंग के लिए भी किया जा सके। आईओसी ने उत्पाद के वाणिज्यिक संबंधी शुरुआत के लिए विनिर्माण, विपणन, स्थापना एवं बिक्री के बाद सेवा प्रदान करने के लिए 10 भारतीय विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया है।

(IV) विद्युत मंत्रालय ने, बीईई के माध्यम से, दिनांक 1 मार्च, 2023 को इंडक्शन स्टोव के लिए स्वैच्छिक स्टार लेबलिंग कार्यक्रम भी शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं के बीच ऊर्जा दक्ष इंडक्शन हॉब के उपयोग को बढ़ावा देते हुए इलेक्ट्रिक कुकिंग के अभिग्रहण को प्रोत्साहित करना है।
